राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति - 2010

Rajasthan Industrial and Investment Promotion Policy - 2010

सत्यमेव जयते

उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार

Department of Industries, Government of Rajasthan

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री

मुझे आशा है राजस्थान की नई औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति औद्योगिक निवेश के साथ ही सेवा क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

इस नीति में बुनियादी ढांचे और कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। समय–समय पर क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जायेगी।

मुझे विश्वास है कि यह नीति निजी क्षेत्र में निवेश को आकृष्ट करेगी एवं राज्य द्वारा जनता की समृद्धि एवं सर्वांगीण विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाएगी।

Rajasthan's new Industrial & Investment Promotion Policy is comprehensive in its approach and reach. It intends to promote not only industrial investments, but also service sector enterprises.

It lays special emphasis on infrastructure and skill development in the State. To ensure its effective implementation, necessary funds will be provided. A committee headed by Chief Secretary will periodically review its implementation.

I am confident that private sector would find it attractive and shall join us in our efforts for all round development of the State and prosperity of its people.

राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति - 2010

उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार

विषय सूची

भूमिका 1

अध्याय 1 दृष्टिकोण, उद्देश्य और नीति का क्रियान्वयन 6

1.1 दृष्टिकोण
1.2 उद्देश्य
1.3 व्यूह रचना
1.4 क्रियान्वयन

अध्याय 2 व्यावसायिक वातावरण में सुधार 8

2.2 एकल खिड़की प्रणाली का मजबूतीकरण
2.2.1 मंत्रीमण्डल (Cabinet) द्वारा विशेष पैकेज
2.2.2 राजस्थान एंटरप्राइज़ेज़ सिंगल पॉइंट एनेबलिंग एंड क्लीयरेंस एक्ट (RESPECT)
2.2.3 सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एण्ड क्लीयरेंस सिस्टम
2.3 नियामक तंत्र का सरलीकरण व युक्तिकरण
2.4 औद्योगिक सलाहकार समिति की स्थापना

अध्याय 3 उच्च गुणवत्ता के आधारभूत ढांचे का विकास 10

3.1 आधारभूत ढांचा के सुधार हेतु मुख्य प्रयास
3.2 आधारभूत ढांचागत विकास के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहन
3.2.1 आधारभूत ढांचा विकास विधेयक
3.2.2 आधारभूत ढांचागत विकास बोर्ड
3.2.3 वायबिलिटी गैप फन्डिंग
3.3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के लिए कोष
3.4 औद्योगिक आधारभूत ढांचे में वृद्वि
3.4.1 नए औद्योगिक क्षेत्र
3.4.2 रीको द्वारा वर्तमान क्षेत्रों का उन्नयन
3.4.3 रीको सामान्य आधारभूत ढांचा सेवाओं के प्रदाता के रूप में
3.4.4 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रोत्साहन
3.5 गैस ग्रिड का विकास
3.6 निवेश परियोजनाओं के लिए जल उपलब्धता
3.7 लॉजिस्टिक पार्कों का विकास
3.8 प्रचुर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना
3.9 दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक गलियारे का लाभ प्राप्त करना
3.10 विशेष निवेश क्षेत्रों का विकास
3.11 औद्योगिक टाउनशिप और नगरीय आधारभूत ढांचे का विकास
3.12 प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना

अध्याय 4 कौशल स्तरों और रोजगारयोग्यता का विकास करना 20

4.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 'सैन्टर्स ऑफ एक्सीलैन्स' में बदलना

4.2 सेवारत प्रशिक्षण के लिए 'ट्रेन टू गेन' योजना
4.3 कौशल मापन एवं सर्वेक्षण
4.4 सेवा क्षेत्रों के लिए कौशल विकास
4.5 प्रशिक्षण सम्बंधी विद्यमान आधारभूत ढांचे का उपयोग किया जाना
4.6 उद्यमिता विकास
4.7 राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ
4.8 नई योजनाओं का क्रियान्वयन
I. औद्योगिक क्षेत्र/संकुल आधारित प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना
II. वर्तमान संस्थानों में नये उद्योग सम्बंधित पाठ्यक्रमों के लिये योजना
III. नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने के लिये प्रमुख संस्थान

अध्याय 5 भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना 25

5.2 भूमि उपयोग परिवर्तन/भूमि का रूपांतरण/रूपरेखा योजना/भवन मानचित्र आदि के अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाना/योजनाओं आदि के अनुमोदन की प्रक्रियाओं का सरलीकरण
5.3 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण
5.4 भूमि बैंक सृजित किया जाना
5.5 निवेशों के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देशों का निरूपण

अध्याय 6 एम.एस.एम.ई संवर्धन पर विशेष बल 28

6.2 संकुल विकास (क्लस्टर डवलपमेन्ट)
6.3 भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना

अध्याय 7 विशिष्ट क्षेत्रों को प्रोत्साहन 30

7.3.1 ज्ञान क्षेत्र
7.3.2 पर्यटन
7.3.3 खनन एवं खनिज प्रसंस्करण
7.3.4 रत्न एवं आभूषण
7.3.5 कृषि कारोबार
7.3.6 कपड़ा तथा परिधान
7.3.7 बड़े निवेशों को आकृष्ट करना
7.3.8 विदेशी निवेश
7.3.9 प्रवासी भारतीय
7.3.10 हस्तशिल्प/हथकरघा/खादी/ग्राम/कुटीर उद्योग
7.3.11 निर्यात
7.3.12 प्रदूषण मुक्त उद्योगों हेतु एफ.ए.आर.में वृद्धि
7.3.13 पिछड़े क्षेत्र

परिशिष्ट नीति के अंतर्गत तैयार की जाने वाली योजनाओं की सूची 37

भूमिका

राजस्थान प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कि भारत के उत्तरी और पश्चिमी विकास केन्द्रों के बीच स्थित है, इसमें दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई.सी.) का 40 प्रतिशत भाग पड़ने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति निःसंदेह ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण गन्तव्य स्थल होने के अतिरिक्त एक शांतिपूर्ण व राजनैतिक रूप से स्थिर राज्य होने के कारण अनेक क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय लाभ एवं लाभपूर्ण निवेश के अवसर उपलब्ध कराता है।

राजस्थान का व्यावसायिक वातावरण, उद्यम मित्रवत सरकार, समृद्ध खनिज एवं कृषि संसाधन, निरंतर उन्नत बनाए जा रहे उच्च श्रेणी के आधारभूत ढांचे, उद्यमिता की परंपरा तथा कुशल मानवशक्ति की उपलब्धता द्वारा पोषित है। चांदी, चूनापत्थर, फॉस्फोराईट, रॉक फॉस्फेट, तांबा अयस्क, जस्ता, जिप्सम, क्ले, ग्रेनाईट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, कैल्साइट आदि राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए, विशेष रुप से भौतिक आधारभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर विकासात्मक उपाय किये हैं।

भारत के अधिकांश राज्यों की तरह, राजस्थान भी प्राथमिक तौर पर एक कृषि आधारित राज्य था जिसके कुल जीडीपी का 50 प्रतिशत भाग कृषि और सहयोगी क्षेत्रों से प्राप्त होता था। हाल के वर्षों में, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी तीव्र विकास हुआ है।

वर्ष 2007 से 2009 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की औसत वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) 7.5 प्रतिशत रही है। इसी अवधि में, निर्माण क्षेत्र औसतन 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा (आर्थिक सर्वेक्षण 2008–2009, भारत सरकार)। दूसरी ओर, संदर्भित अवधि में राज्य की समग्र जीडीपी 6.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी जबकि निर्माण क्षेत्र 6.34 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र 6.55 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 7.54 प्रतिशत की दर से बढ़े।

वर्ष 2007-2009 के दौरान भारत/राजस्थान की चक्रवर्ती वार्षिक विकास दर

	जीडीपी विकास (स्थिर कीमतों पर)	निर्माण क्षेत्र का विकास
राजस्थान	6.3%	6.3%
भारत	7.5%	5.2%

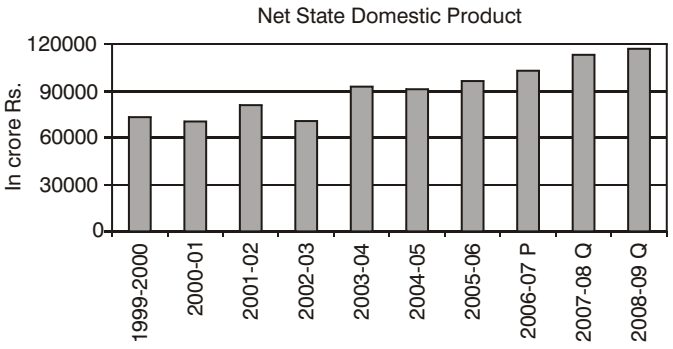

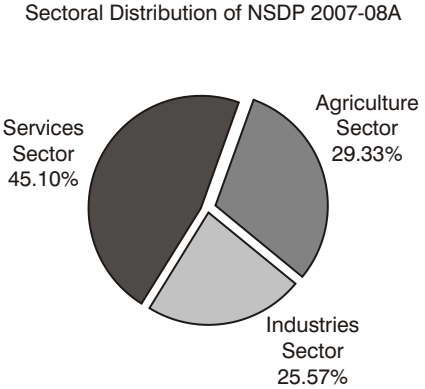

(स्रोतः योजना विभाग, राजस्थान)

राजस्थान में औद्योगिक क्रियाकलापों और रोजगार सृजन में लघु उद्योग क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यम और वृहद् श्रेणी के उद्योग भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में स्थापित हैं। राजस्थान, देश में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य क्षेत्र, जिनमें वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के निवेश आकर्षित हो रहे हैं, उनमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में होंडा सिएल और अशोक लेलैंड प्रमुख कंपनियां हैं। मॉइको बॉश, फेडरल मुगल और जापानी अनुषांगिक इकाईयों का समूह, राज्य में अन्य प्रमुख ऑटो–पुर्जों के निर्माता हैं।

अनेक उत्पादों के लिए राजस्थान एक महत्वपूर्ण निर्माण आधार है, जिसमें रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, सिन्थेटिक तथा सूती वस्त्र, धागा, ऊन, संगमरमर और ग्रेनाईट स्लैब्स, खाद्य तेल, रसायन, रबर तथा प्लास्टिक आधारित वस्तुएं, उर्वरक, विद्युत उपकरण और वैद्युतिक सामान, चीनी मिट्टी तथा कांच आदि सम्मिलित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और आईटी सक्षम सेवाएं (आई.टी.ई.एस.), तेल तथा गैस और ऊर्जा उत्पादन उभरते हुए क्षेत्र हैं।

आई.टी.ई.एस. उद्योग के लिए जयपुर पसंदीदा टियर– ।। शहर बनता जा रहा है जहां जानी–मानी कंपनियां जैसे कि जेनपैक्ट और इनफोसिस के बीपीओ मौजूद हैं। समृद्ध विविधता, पर्यटन आकर्षणों की प्रचुरता और धरोहर, जैसे किले, महल, प्राचीन और वास्तुकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हवेलियां, वन्य जीव अभ्यारण्य, मरूस्थल और हस्तशिल्प तथा लोक कलाओं की विस्तृत श्रृंखलाएं, ये सभी मिलकर राजस्थान को एक अत्यंत आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाते हैं। सभी अग्रणी होटल श्रंखलाओं की राज्य में विशिष्ट उपस्थिति ने राज्य में पर्यटन को निवेश के लिए एक अभीष्ट क्षेत्र बनाया है।

राजस्थान के विकास की रूपरेखा, इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि मजबूत आधारभूत ढांचा, निवेश और आर्थिक संवृद्धि को प्रेरित करता है। परिवहन, संचार और औद्योगिक आधारभूत ढांचे में समुचित और दीर्घकालिक प्रयास के परिणामस्वरुप राज्य में भौतिक आधारभूत ढांचे की रीढ़ मजबूत हुई है।

राजस्थान ऊर्जा आधिक्य वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। राज्य में इस क्षेत्र में बड़े निवेश क्रियान्वयन स्तर पर हैं। प्रबल सतही हवाऐं और सूर्य के प्रकाश की प्रचुरता के कारण ऊर्जा उत्पादन की यहाँ भारी संभावनाएं हैं। बाड़मेर–जैसलमेर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज, विकास गतिविधियों को वृहद् स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। थार के मरूस्थल में लाखों टन तेल और प्राकृतिक गैस का ख़ज़ाना संचित है और अब से कुछ ही वर्षों में राज्य के अब तक मरूस्थलीय जिले अप्रत्याशित सर्वांगीण विकास के साक्षी होंगे।

राजस्थान ऐसे कुछ चुनिंदा राज्यों में से है, जिन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी से बी.ओ.टी. आधार पर अनेकों परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। निजी निवेशक राज्य के राजमार्गों के उन्नतीकरण, पुलों के निर्माण, बायपास, रेल ओवर–ब्रिज और सडक मार्ग के किनारे विभिन्न सुविधाओं के विकास कार्यों के रूप में सड़क विकास की परियोजनायें क्रियान्वित कर सकते हैं।

जयपुर में पूर्णतः कार्यशील अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां से दुबई, शारजाह के लिए उड़ान सेवाएं उपलब्ध हैं। जोधपुर और उदयपुर में घरेलू हवाई अड्डे स्थित हैं, जहां से प्रमुख मेट्रो और अन्य शहरों के लिए नियमित उड़ान सेवाएं हैं। जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) भारत में व देश के बाहर व्यापार को सुगम बनाते हैं।

राज्य में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक मजबूत संस्थानिक नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। यहां 20 विश्वविद्यालय, लगभग 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, 94 प्रबंधन संस्थान और 1,042 महाविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त, यहां के पॉली–टेक्निक संस्थान, प्रति वर्ष 11,610 छात्रों को नामांकित करने में सक्षम हैं और 666 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रति वर्ष लगभग 66,906 लोगों के विविध कौशलों में वृद्धि करते

हैं। राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज है।

राज्य में कुछ प्रमुख संस्थानों में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.), राष्ट्रीय फैशन टैक्नॉलॉजी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) भी राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अन्य उल्लेखनीय संस्थानों यथा एल.एन.एम.आई.आई.टी., एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, मनीपाल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, एमिटी विश्वविद्यालय जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ, एम.एन.आइ.टी., भारतीय अस्पताल प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान आदि प्रमुख हैं। पिलानी में स्थित बिट्स, देश में सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियरिंग कॉलेज है।

श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृत सर्वेक्षण के अनुसार, यह आकलन किया गया है कि राजस्थान में मानव संसाधन आवश्यकताओं में वर्ष 2015 तक 5 से 5.2 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि होगी। अधिकतम वृद्धिशील आवश्यकता विनिर्माण उद्योग में होगी, तत्पश्चात् वस्त्रोद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और सत्कार, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो मैकेनिक्स, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, ऑटो एवं इंजीनियरिंग, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, आई. टी./आई. टी. ई. एस., खनन और खनिज तथा रीटेल क्षेत्र में भी पर्याप्त श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी।

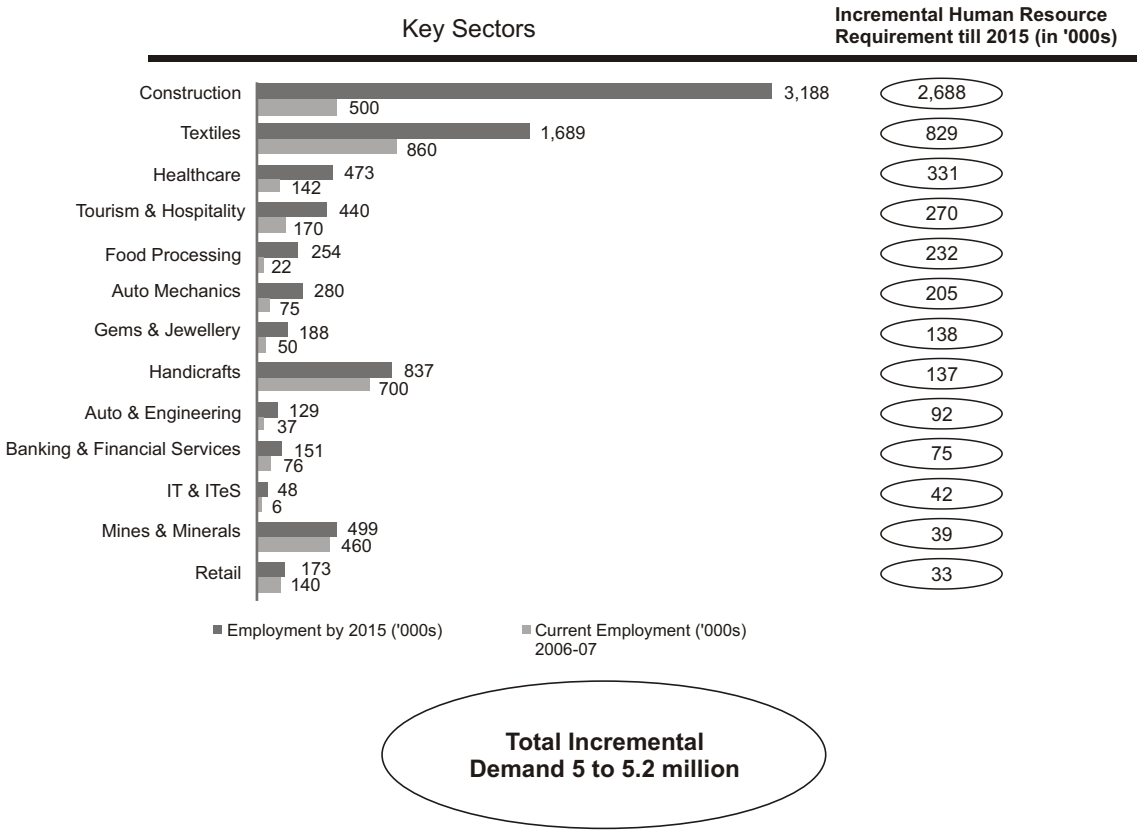

सामाजिक आधारभूत ढांचागत क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र को बढ़ती हुई गति से समायोजित किया जा रहा है और उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में अनेक निवेश विकल्प खुल रहे हैं।

विद्यमान निवेश संवर्धन व्यवस्था

निवेशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने समय–समय पर निवेश संवर्धन

नीतियों की घोषणा की है। सरकार ने अनेक क्षेत्र विशिष्ट नीतियाँ भी लागू की हैं। क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ट नीतियाँ अधिकतर सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

राज्य में गत समग्र औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति की घोषणा 1998 में की गई थी। इसे राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (आर.आई.पी.एस.) 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियों की घोषणाएं भी की गई हैं। यथाः

वर्तमान में चल रही निवेश संवर्धन नीतियां निम्न हैंः

- राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (आर. आई. पी. एस.) 2003
- राजस्थान सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम विकास सहायता योजना, 2008
- आई. टी. एवं आई. टी. ई. एस. नीति– 2007
- पर्यटन नीति, 2007
- गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन संवर्धन नीति, 2004
- राजस्थान राज्य में ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नीति, 2005
- पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी संस्थान स्थापित करने की योजना
- राजस्थान सोशल सेक्टर वायाबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम (आर.एस.एस.वी.जी.एफ.)
- विद्यमान सरकारी आई.टी.आई. संस्थानों में निजी पक्षों द्वारा द्वितीय पारी में संचालित करने हेतु उद्योग संस्थान सहभागिता योजना
- इंजीनियरिंग कॉलेजों की सुविधा रहित जिलों में पी.पी.पी. आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना
- राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, 2003
- औद्योगिक और निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के लिए एकल खिड़की निस्तारण प्रणाली मौजूद है। (अब कानूनी समर्थन प्राप्त एक समग्र एकल खिड़की प्रणाली, अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही है)

नई नीति की आवश्यकता

देश की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में निर्माण क्षेत्र की 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ 9 प्रतिशत की औसत समावेशी वृद्धि का लक्ष्य है। योजनाकाल के समापन तक निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ा कर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष करने को राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक प्राथमिकता के रूप में उल्लेखित किया गया है।

आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य

आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य	इकाई	सीएजीआर (2001–02 से 2004–05)		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य	
	%	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
कृषि	%	1.03	1.76	4.10	3.50
उद्योग	%	6.96	7.43	10.50	8.00
सेवा	%	8.64	7.08	9.90	8.90
कुल वृद्धि दर	%	6.45	5.68	9.00	7.40

सीएजीआर– चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर

(स्रोत : ग्यारहवीं योजना का दस्तावेज)

सरकार का प्रयास निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाते हुए दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि अर्जित करने के लिए और एक उत्प्रेरक वातावरण को सृजित करना है, ताकि निजी क्षेत्रों को उन्नति का अवसर मिले। राजस्थान के अनेक क्षेत्र स्वयं लाभयुक्त हैं जिन्हें राज्य की सहयोगपूर्ण नीतियों एवं समर्थन से अधिक बल मिला है। हालांकि आधारभूत ढांचा और कौशल की वृद्धि की गति विकास गति के अनुसार होना आवश्यक है। रोज़गार सृजन की दर को बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक उसमें समाहित हो सके। प्रतिस्पर्धी बने रहने और स्थायी एवं समावेशी उच्च आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नए उच्च ज्ञान आधारित जटिल वैश्विक प्रतिमानों ने नई चुनौतियां और अवसर पेश किए हैं।

अतः यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी नीतियाँ प्रतिपादित की जायें, जो आगामी वर्षों में राजस्थान की संवृद्धि दर को बढ़ा सके, प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत बना सके और निवेशकों में दीर्घकालीन विश्वास निर्मित कर सके।

वर्तमान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति 2010 निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो एक निवेश स्थल के रूप में किसी स्थान की उपयुक्तता व आकर्षण को प्रभावित करते हैं, का समग्र रुप से समावेश करती है। यह नीति अनेक महत्वपूर्ण तत्वों जैसे भूमि, आधारभूत ढांचा, कौशल–समूह, नीति परिवेश, निवेशक अनुभवों–जो कि औद्योगिक और निवेश तंत्र की आधारशिला हैं, में गुणात्मक सुधार करने की ओर लक्षित है।

निजी क्षेत्र की वृद्धि के मार्ग की प्रमुख बाधाऐं, अवरोध और प्रतिबंध न्यूनतम हों ताकि कुशल सुविधादाता के रूप में राज्य सरकार अपनी भूमिका को नए सिरे से पारिभाषित करे। कुशल सुविधादाता के रूप में राज्य सरकार अपनी भूमिका को नये सिरे से परिभाषित करे, ताकि निजी क्षेत्र की वृद्धि के मार्ग की प्रमुख बाधाएं, अवरोध और प्रतिबंध न्यूनतम हो।

अध्याय

1 नीति का दृष्टिकोण, उद्देश्य, व्यूहरचना एवं नीति का क्रियान्वयन

1.1 दृष्टिकोण

राजस्थान सरकार, निवेशों को प्रेरित करने, समावेशी आर्थिक संवृद्धि को त्वरता प्रदान करने और लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित करने को कृत संकल्प है।

1.2 उद्देश्य

राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति 2010 के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

1.2.1. उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में वृहत्तर निजी निवेश के माध्यम से उच्चतर एवं दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करना;

1.2.2. पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना;

1.2.3. एक सहयोगात्मक नीति एवं संस्थानिक वातावरण तथा आधारभूत ढांचा सृजित करना जो निजी क्षेत्र के निवेश एवं उद्यम को प्रोन्नत करें;

1.2.4. राजस्थान के प्राकृतिक या अतिलाभ के क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास को प्रोत्साहित करना;

1.2.5. मानव संसाधन का विकास करना एवं ज्ञान आधारित विकास को प्रोत्साहन;

1.2.6. बढ़ती युवा जनसंख्या के लिए रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना।

1.3 व्यूहरचना

नीतिगत कार्यक्रमों का ध्येय उद्यम तथा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास करने के साथ भारत के अन्य भागों और विदेशों से निवेश प्रवाह में पर्याप्त बढोत्तरी को प्रेरित करना है। मुख्य उपायों का ध्येय निम्न है:

1. व्यावसायिक वातावरण में सुधार।
2. उच्च गुणवत्ता वाले आधारभूत ढांचे का विकास।
3. कौशल स्तरों एवं रोजगारपरकता को बढ़ावा।
4. परियोजनाओं के लिए भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चितता।
5. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों (एम.एस.एम.ई.) को प्रोत्साहन।
6. चिन्हित थ्रस्ट सैक्टर्स का संवर्धन।

1.4 क्रियान्वयन

1.4.1 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS -2010)
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2003 के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय लाभ एवं अनुदान पैकेज तब तक लागू रहेगे जब तक सरकार द्वारा नई निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा नहीं की जाती है।

1.4.2 इसी प्रकार, रूग्ण/बंद औद्योगिक इकाईयों हेतु पुनर्वास योजना भी बनाई जा रही है जो पृथक से घोषित की जाएगी।

1.4.3 नीति के प्रावधानों को समावेशित करने वाली विभिन्न योजनाएं अलग से जारी की जायेंगी। निवेश संवर्द्धन ब्यूरो सम्बन्धित विभागों के लिए उपलब्ध आदान/योजनाओं के प्रारूप अलग से प्रसारित करेगा। (परिशिष्ट का अवलोकन करें)

1.4.4 सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक प्रशासनिक आदेश, नोटिफिकेशन्स एवं योजनाएं शीघ्र जारी की जायेगी लेकिन ये सभी इस नीति के जारी होने के 6 माह के अन्तर्गत जारी किया जाना आवश्यक होगा।

1.4.5 योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी। इस समिति की बैठक कम–से–कम तीन माह में एक बार होगी।

1.4.6 इस नीति में समाहित विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए समुचित बजटीय प्रावधान भी किए जायेंगे।

अध्याय

2 व्यावसायिक वातावरण में सुधार

सरकार व्यावसायिक वातावरण को सुधारने, व्यवसाय में प्रवेश और परिचालन प्रक्रियाओं को स्पष्ट बनाने तथा विलम्ब व व्यापार लागतों को कम करने के लिए अपने वर्तमान प्रयासों को जारी रखेगी। व्यापार नियामक प्रक्रिया की सम्पूर्ण व्यवस्था के गठन के लिए तथा सहायक संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

2.1 व्यावसायिक वातावरण में सुधार के लिए प्रमुख कदम निम्न होंगे:

2.1.1 एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) को मजबूत बनाना

अ. मंत्रीमण्डल (केबिनेट) द्वारा विशेष पैकेज

ब. राजस्थान एण्टरप्राइज़ेज़ सिंगल पॉइंट एनैबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट (RESPECT)

स. सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस एण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम

2.1.2 नियामक व्यवस्था को सरल और युक्तिसंगत बनाना

2.1.3 "औद्योगिक सलाहकार समिति" की स्थापना

2.2 एकल खिड़की प्रणाली का मजबूतीकरण

राज्य सरकार राज्य में व्यवसाय के लिए एकल बिंदु सेवाओं की व्यवस्था हेतु वैधानिक तंत्र की व्यवस्था के लिए, स्पष्ट रूप से समय सीमा निर्धारित करते हुए इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए और निर्धारित समय सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति न मिलने की स्थिति में अधिकार क्षेत्र एकल बिंदु स्वीकृति अधिकारी को स्थानांतरित किए जाने के लिए अधिनियम बनायेगी। एकल खिड़की अधिनियम और इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति प्रणाली, एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनायेगा तथा राज्य में निवेश क्रियान्वयन के लिए आवश्यक औसत समयावधि को कम करेगा।

2.2.1 मंत्रीमंडल (Cabinet) द्वारा विशेष पैकेज

वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त जब भी कोई विशेष छूट/पैकेज पर विचार करने की स्थिति हो तो, उक्त प्रकरण पर मंत्रीमण्डल द्वारा विचार किया जाएगा। सरकार के सभी विभागों पर उक्त निर्णय बाध्य होगा।

2.2.2 राजस्थान एण्टरप्राइज़ेज़ सिंगल पॉइंट एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स एक्ट (RESPECT)

निर्धारित समय सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति न मिलने की स्थिति में अधिकार क्षेत्र एकल बिंदु स्वीकृति अधिकारी को स्थानान्तरण के द्वारा राज्य में निवेश और व्यावसायिक प्रस्तावों को एकल बिन्दु सेवायें प्रदान करने के लिए राजस्थान एण्टरप्राइजेज सिंगल पॉइंट एनैबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट के अधीन राज्य में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों (एस.ई.सी./डी.ई.सी.) का गठन किया जायेगा। एस.ई.सी./डी.ई.सी. द्वारा प्रदत्त ऐसी अनुमति उसी प्रकार प्रभावी होगी जैसी सक्षम

अधिकारी द्वारा दी जाती।

2.2.3 सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एण्ड क्लीयरेंस सिस्टम

राज्य में निवेश के निर्णयों या निवेश के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले समस्त नियमों, कानूनों एवं आदेशों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एकल बिंदु सेवा के अभिन्न अंग के रूप में सूचना प्रसारण पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

विभिन्न स्वीकृतियों के लिए आवेदन पत्र जमा कराने, उनके समयबद्ध निस्तारण की निगरानी और शीघ्र स्वीकृति की सुविधा हेतु एक कम्प्यूटरीकृत और पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसमें आवेदक द्वारा आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने की भी सुविधा होगी।

2.3 नियामक तंत्र का सरलीकरण व युक्तिकरण

राज्य में प्रचलित नियामक तंत्र की समीक्षा और निवेश वातावरण को व्यवसाय के मित्रवत बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। विशेषज्ञों और व्यापारिक निकायों के परामर्श से जहां भी वांछित होगा, तदनुसार सरलीकरण एवं युक्तिसंगत बनाया जाएगा। कतिपय अपनाये जाने वाले उपाय निम्नानुसार हैं:–

2.3.1 व्यवसाय करने के लिए विभिन्न विभागों या एजेंसियों द्वारा वांछित वैधानिक प्रक्रियाओं की सूची राज्य सरकार द्वारा संकलित की जा रही है।

2.3.2 लाइसेंस, अनुमति, अनुमोदन आदि व तत्सम्बंधी प्रक्रियायें, जो निरर्थक या भारतुल्य हैं, को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

2.3.3 विनियामक उपायों को बिना किसी उत्पीड़न के लागू करने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। स्वैच्छिक अनुपालना, स्व प्रमाणन, तृतीय–पक्ष निरीक्षण आदि जैसे उपाय, जहां उपयुक्त हो, प्रारम्भ किये जाएंगे।

2.3.4 कारखानों और श्रम कानूनों, खनन लाइसेंस व स्थानीय निकायों के लाइसेंस से सम्बन्धित प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाएगा क्योंकि इनसे तत्काल और पर्याप्त राहत की अपेक्षा की जाती है।

2.3.5 मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें सम्बन्धित विभागों के सचिव और व्यापार निकायों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, द्वारा विद्यमान तंत्र की सामयिक समीक्षा की जाएगी।

2.4 औद्योगिक सलाहकार समिति की स्थापना

निजी एवं सार्वजनिक सम्पर्क को स्थापित व मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 'औद्योगिक सलाहकार समिति' की स्थापना की जा चुकी है। समिति में विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, उद्योगों, वित्त, पर्यटन, शहरी विकास को सम्मिलित करते हुए और मुख्य व्यापारिक निकायों व औद्योगिक संघों जैसे कि भारतीय उद्योग कॉन्फेडेरेशन ऑफ़ इंडियन इन्डस्ट्री, राजस्थान चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री परिसंघ, राजस्थान वाणिज्य और उद्योग मण्डल, पी. एच. डी. सी. सी. आई. और फेडेरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के सचिव सदस्य भी सम्मिलित होंगे। निवेश को बढ़ावा देना और राज्य के आर्थिक विकास के साथ–साथ नीति निर्माण, रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास, कौशल संवृद्धि आदि के लिए सुझाव देना और मौजूदा योजनाओं में परिवर्तन तथा नये प्रयासों के लिए भी सुझाव देना, समिति के प्रमुख कार्य होंगे।

अध्याय

3 उच्च गुणवत्ता के आधारभूत ढांचे का विकास

भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता, सुलभता और सामर्थयता विकास के मुख्य निर्धारक हैं। वे आवश्यक परिवेश परिस्थितियों को निर्मित करने के लिए एक अच्छी नीति और संस्थानिक ढांचे के पूरक हैं जो निवेश को आकर्षित करने, व्यवसाय और उद्योग की संवृद्धि को बनाये रखने और रोजगार अवसरों के सृजन हेतु पूर्वापेक्षाएं हैं।

इसीलिए सड़कों का अच्छा नेटवर्क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त जल, हाई स्पीड डेटा ट्रांस्फर कनेक्टिविटी, प्रभावी लॉजिस्टिक सुविधाएं आदि प्रदान करते हुए राजस्थान में उद्यमों की प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता बढ़ाना प्रस्तावित है।

3.1 आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु मुख्य प्रयास निम्न होंगे:

a) आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहन
b) महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचागत आवश्यकताओं के लिए कोष का सृजन
c) औद्योगिक आधारभूत ढांचे में वृद्धि
d) गैस ग्रिड का विकास
e) निवेश परियोजनाओं के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना
f) लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास
g) ऊर्जा आपूर्ति की भरपूर उपलब्धता
h) दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (डी.एम.आइ.सी.) के लाभ प्राप्त करना
i) विशिष्ट निवेश क्षेत्रों का विकास
j) औद्योगिक टाउनशिप और नगरीय आधारभूत ढांचे का विकास
k) प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा प्रणालियां सुनिश्चित करना

3.2 आधारभूत ढांचागत विकास के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहन

राज्य आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे में वृहद निवेशों का दृष्टिकोण रखता है। राज्य की सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वांछित वित्त की आवश्यकता को केवल सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा पूरा नही किया जा सकता। निजी निवेश को आकर्षित करने और इसकी प्रभावक्षमता को बढ़ावा देने, उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा और सेवाएं प्रदान करने हेतु एक प्रेरक नीति एवं संस्थानिक व्यवस्था का विकास किया जायेगा। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण और वितरण परियोजनाएं, सड़क पुल और बाईपास, जल आपूर्ति, शोधन और वितरण, हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट, अंतर्देशीय कंटेनर

डिपो और लॉजिस्टिक्स हब, सूचना प्रौद्योगिकी, भूमि विकास, औद्योगिक/नॉलेज पार्क और टाउनशिप, नगरीय उपयोगी सेवाएं, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यापारिक मेला स्थल, कनवेंशन सेन्टर, और नगरीय यातायात प्रणालियां आदि कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जहां पी.पी.पी. की अपेक्षा की जा सकती है।

3.2.1 आधारभूत ढांचा विकास विधेयक

निजी सहभागिता के लिए कानूनी रूपरेखा और योजना के निरूपण हेतु एक आधारभूत ढांचागत विकास विधेयक बनाया जाएगा। आधारभूत क्षेत्रों में निजी निवेशों के लिए विधेयक न्यायसंगत, पारदर्शी और स्पष्ट रूप से व्यक्त प्रक्रिया का निरुपण करेगा। यह त्वरित निर्णयों को भी सुगम बनाएगा और ऐसी परियोजनाओं के विकासकर्ताओं और वित्तपोषकों के लिए जोखिमों को कम करने का प्रयास करेगा।
यह विधेयक अन्य बातों के साथ निम्न व्यवस्थाएं करेगाः

a) राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के वित्त पोषण, निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए पर्याप्त नियामक और प्रशासनिक ढांचा।
b) प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने, निर्णय लेने और परियोजना से जुड़े सामान्य जोखिमों को चिन्हित करने के लिए यह एक व्यापक विधेयक होगा।
c) विभिन्न प्रलाभनों, परियोजना आपूर्ति प्रक्रिया और जब कभी उठने वाले विवादों के समाधान हेतु प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन।
d) निजी क्षेत्र के लिए वित्तपोषणयोग्य सम्बन्धी अनुषांगिक एवं तत्आधारित बातों हेतु परियोजनाएं पेश करना और राज्य में आधारभूत ढांचे के स्तर में सुधार।

3.2.2 आधारभूत ढांचागत विकास बोर्ड

राज्य में आधारभूत क्षेत्र में निवेश के उच्चतर प्रवाह को सुगम बनाने और विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक वैधानिक शक्तिप्राप्त बोर्ड गठित किया जाएगा। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति होगी जिसमें वरिष्ठ मंत्री और सचिव सदस्य होंगे। पी.पी.पी. आधार पर निजी सहभागिता वाली आधारभूत सुविधाओं की विकास परियोजनाओं के शीघ्र अनुमोदन के लिए यह एक एकल बिन्दु व्यवस्था होगी। निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और इस बोर्ड द्वारा विचारणीय परियोजनाओं का परीक्षण एवं समन्वय स्थापित करेगा। बी. आई.पी. के संसाधनों में समुचित वृद्धि की जायेगी जिसमें पेशेवर मानव संसाधन एजेन्सियों से सेवायें किराये पर प्राप्त करना भी सम्मिलित होगा। इस उद्देश्य के लिए बी.आई.पी. के कार्यों में निम्न सम्मिलित होंगेः

a) आधारभूत ढाँचागत परियोजनाओं की परिकल्पना करना
b) परियोजना के लिए स्वीकृतनीय/अस्वीकृतनीय मानदण्डों सहित समीक्षात्मक दिशा–निर्देश विकसित करना
c) तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन करते हुए तकनीकी, वित्तीय, जोखिम प्रबंधन और समग्र नीतिगत पहलुओं के आधार पर पीपीपी परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करना
d) टर्म्स ऑफ रेफरेन्स, प्री क्वालिफिकेशन व बिड इवेल्युएशन क्राइटेरिया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल व कनसेशन अग्रीमेन्ट्स तैयार करना
e) क्षेत्रीय एजेन्सियों और विभागों के साथ समन्वय
f) नीलामी प्रक्रिया का प्रबंधन और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निजी सहभागी का चयन
g) रियायत समझौते का प्रारूप तैयार करना
h) सरकारी एजेन्सियों और उनके कर्मचारियों के मध्य क्षमता का सृजन

i) बाहरी विषय विषेशज्ञ एजेन्सियों की मदद लेना
j) सरकार की ओर से 'वायबलिटी गैप फन्डिंग' प्रस्तावों को लागू करना
k) राज्य में पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए उपयुक्त ढांचा लागू करते हुए एक योजना निगरानी तंत्र तैयार करना और उसकी देखरेख करते रहना।
l) प्रत्येक परियोजना की वित्तीय और भौतिक निगरानी सुनिश्चित करना, विसामान्यताओं की पड़ताल करना और सुधार के लिए कार्यवाही के मुख्य क्षेत्र चिन्हित करना।

3.2.3 वायबिलिटी गैप फन्डिंग

भारत सरकार पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की 20 प्रतिशत सीमा तक व्यावहारिकता अंतराल समर्थन (वायबिलिटी गैप फन्डिंग) प्रदान करती है। राज्य सरकार भी परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक, जहां आवश्यक और महत्वपूर्ण हो, अतिरिक्त व्यावहारिकता वित्तपोषण प्रदान करेगी। राज्य सरकार इस हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

3.3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के लिए कोष

राज्य सरकार क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड स्थापित करेगी। महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा कोष ऐसी परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करेगा जिन्हे राज्य के लिए औद्योगिक क्षेत्रों/विशिष्ट पार्कों/क्षेत्रों/इकाईयों के समूह या राज्य के लिए विशेष महत्व की बड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के सुधार के लिए तैयार की गई हो। इस हेतु कोष आवश्यकतानुसार प्रारिम्भक तौर पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य कोष हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता बजट के माध्यम से प्रदान करेगा। कोष के संचालन की विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

3.4 औद्योगिक आधारभूत ढांचे में वृद्धि

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने अब तक लगभग 59,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके 321 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है। यह निरन्तर और भूमि का अधिग्रहण और विकास कर रहा है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा, स्ट्रीटलाइट, जल आपूर्ति, सम्पर्क सड़क और मूलभूत सामाजिक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था भी की गई है। रीको ने कृषि प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, सूचना तकनीक आदि जैसे विशेष प्रकार के उद्योगों के लिए उत्कृष्ट आधारभूत ढांचागत सुविधायुक्त एवं विशिष्ट उद्देश्ययुक्त औद्योगिक पार्कों की स्थापना की शुरूआत की है। रीको ने 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) का विकास भी किया है जिनमें से दो रत्न एवं आभूषणों के लिए जयपुर में हैं और एक हस्तशिल्प के लिए जोधपुर में स्थित है। औद्योगिक आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने हेतु निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:

a) नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
b) रीको द्वारा विद्यमान क्षेत्रों का उन्नयन
c) रीको द्वारा साझा आधारभूत ढांचागत सेवाएं प्रदान करना

3.4.1 नए औद्योगिक क्षेत्र

A. रीको

i. रीको अगले पांच वर्षों में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 20,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि विकसित करेगा।
ii. रीको, नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के साथ निम्न प्रयास भी करेगा:
   a) एम.एस.एम.ई. सेक्टर के लिए कम से कम 30 प्रतिशत भूमि का आरक्षण
   b) वृहद् परियोजनाओं के लिए वेन्डर और सहायक इकाइयों के विकास के लिये भूमि उपलब्ध

कराना

c) सामाजिक आधारभूत ढांचे, यथा आवासीय क्षेत्र, स्कूल, अस्पताल आदि के लिए भूखण्ड उपलब्ध कराना

d) क्षेत्र में समुचित आधारभूत सुविधाओं के विकास पश्चात् ही भूमि आवंटन

B. निजी औद्योगिक पार्कों का विकास

i. राज्य सरकार औद्योगिक पार्कों/सम्पदा की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी।

ii. राज्य सरकार, ऐसे पार्कों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको क्षेत्रों पर प्रभावी नियमों के अनुरुप ही सड़क, जल आपूर्ति और विद्युत प्रसारण लाइनों (ऐसे क्षेत्रों तक) की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

iii. ऐसे निजी औद्योगिक पार्कों के प्रवर्तक, उक्त लाभों की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने प्रस्तावों को बी.आई.पी. के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

iv. औद्योगिक पार्कों के व्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए ले–आउट व नक्शों को रीको की सहमति से या इस उद्देश्य हेतु निर्धारित नियमों के अनुरूप अंतिम रुप दिया जायेगा।

v. विशिष्ट सेक्टरों वाले औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए रीको अविकसित भूमि भी उपलब्ध कराएगा।

C. विशिष्ट औद्योगिक पार्क

प्रत्येक सेक्टर की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उत्पाद वाले पार्क/संकुल विकसित किए जाएंगे। निम्न नए उत्पाद आधारित विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश केन्द्रों की स्थापना की जायेगीः

i. डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में कांच और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स

ii. डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में ऑटोमोटिव–जोन

iii. लेदर कॉम्प्लेक्स/पार्क

iv. शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, आमोद–प्रमोद, अनुसंधान तथा सूचना तकनीकी सेक्टरों की आवश्यकतापूर्ति के लिए नॉलेज सिटी

v. शैक्षणिक संस्थानों के समूह

3.4.2 रीको द्वारा वर्तमान क्षेत्रों का उन्नयन

i. रीको आगामी पांच वर्षों के अन्तराल में अपने विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचागत सुधार के लिए विशेष प्रयास करेगा। इस हेतु किए जाने वाले कार्यों में सेवा सम्बंधी आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं का उन्नयन शामिल होंगे। सड़क पुनर्लेपन, वर्षाजल संचयन प्रणालियों का सुधार, सर्विस ट्रेंचिंग और सेवा नेटवर्कों में सुधार, पेविंग, लैंडस्केपिंग और साइनेज आदि कार्य प्रमुख होंगे।

ii. रीको हर वर्ष उत्कृष्ट उन्नयन हेतु कम–से–कम 5 फ्लैगशिप या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य हाथ में लेगा। आवश्यक होने पर राज्य सरकार द्वारा रीको के औद्योगिक क्षेत्रों की उन्नयन लागत का 25 प्रतिशत अनुदानित किया जा सकेगा।

3.4.3 रीको सामान्य आधारभूत ढांचा सेवाओं के प्रदाता के रूप में

औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को उन्नत बनाने के लिए, रीको अपने सेवा क्षेत्र को स्वयं या पी.पी.पी. आधार पर चयनित संख्या वाले बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अपशिष्ट शोधन संयंत्रों, विद्युत, जल और

गुणवत्तायुक्त सम्पर्क सड़कों को सम्मिलित करते हुए अपनी सेवाओं को विस्तारित करेगा।

3.4.4 विशेष आथिक क्षेत्र (सेज) को प्रोत्साहन

i. राज्य में पहले से ही सेज़ संवर्धन नीति लागू है। इस नीति के प्रावधान, राज्य में सेज़ को प्रोत्साहित करने हेतु एक अनुकूल परिवेश प्रदान करने और राज्य की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने को लक्षित हैं। सरकारी क्षेत्र में तीन सेज़ और संयुक्त क्षेत्र में एक मेगा सेज़–महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी के अतिरिक्त, 8 अनुमोदित सेज़ हैं जिनमें से 7 अधिसूचित हो चुके हैं।

ii. एक नया सेज़ विधेयक बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्य में विकसित किए जाने वाले सेज़ को अनेक छूटों का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें विलासिता कर, बिजली शुल्क, लीज और रजिस्ट्री शुल्क में छूट सम्मिलित हैं। नया विधेयक सेज़ के विकासकर्ता और सह–विकासकर्ता को समान दर्जा प्रदान करेगा और भूमि की किस्म परिवर्तन शुल्क के रूप में केवल एक सांकेतिक धनराशि ही देय होगी।

3.5 गैस ग्रिड का विकास

वर्तमान और प्रस्तावित प्रमुख गैस पाईपलाईनें राजस्थान से गुजरती हैं। राज्य में कुछ परियोजनाएं, जैसे उर्वरक उत्पादक इकाईयां प्राकृतिक गैस का कच्चे माल के रुप में उपयोग करती हैं। धौलपुर, मथानिया और रामगढ़ में गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित हो रहे हैं। भिवाडी–नीमराना क्षेत्र में उद्योगों को गैस आपूर्ति करने के लिए गैस–पाईपलाईन बिछाई जा रही है। हालांकि राज्य के अपने विकास के लिए प्राकृतिक गैस का सस्ते, प्रचुर और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य में समुचित गैस ग्रिड को विकसित किया जाना अभी बाकी है। राज्य के औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मांग पूरी करने के लिए राजस्थान में गैस ग्रिड के विकास हेतु पाईपलाईन नेटवर्क एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के माध्यम से इंडियन स्कूल ऑफ पेट्रोलियम द्वारा राजस्थान में एक गैस ग्रिड स्थापित करने के लिए फीजेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। इस ऊर्जा संसाधन का लाभ प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता में राज्य–व्यापी गैस ग्रिड के विकास हेतु बड़ी पहल की जायेगी।

तेल शोधन, पाईपलाईन परिवहन, गैस की खुदरा बिक्री, सिटी गैस वितरण, तेल की खोज और ऑयल फील्ड में सहयोग सेवाओं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम की भूमिका विस्तृत की जाएगी। निगम को मजबूत बनाने के लिए आर.एस.एम.एम.एल. रू. 25 करोड़ का निवेश करेगा।

3.6 निवेश परियोजनाओं के लिए जल उपलब्धता

आधारभूत ढांचे के अन्य संघटकों के अतिरिक्त, एक स्वस्थ निवेश वातावरण के लिए जल अनिवार्य है।

3.6.1 नए बांधों और सिंचाई परियोजनाओं को अभिकल्पित और प्रतिपादित करते समय, 10 प्रतिशत जल को औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

3.6.2 राज्य में जल की कमी है। अतः उद्योगों को जल का उपयोग कम करने, पुनर्उपयोग करने और पुनर्चक्रित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की विद्यमान योजनाओं के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

3.6.3. विश्वसनीय और निरंतर स्रोतों से जल आपूर्ति करने की उपयुक्तता की सम्भावनाओं की जाँच की जाएगी। प्रमुख औद्योगिक और निवेश क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त परियोजनाएं,

प्रमुखतया पीपीपी आधार पर लागू की जाएंगी।

3.7 लॉजिस्टिक पार्कों का विकास

3.7.1 सरकार, लॉजिस्टिक्स को एक सामरिक महत्त्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करती है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के क्रियाकलापों में अंतर्देशीय भार परिवहन, भंडारण, सामग्री प्रबंधन, सुरक्षात्मक पैकेजिंग, इन्वेन्ट्री नियंत्रण, ऑर्डर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, पूर्वानुमान और ग्राहक सेवाएं शामिल हैं।

3.7.2 रेलवे सेक्टर में पूर्वी और पश्चिमी चतुर्भुजों को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स (डी.एफ.सी.) का निर्माण और भारतीय रेल नेटवर्क के चतुर्भुजों और विकर्णों की अन्य शाखाओं के लिए डी.एफ.सी. का भावी विकास, उन्नत अंतरण, क्रमिक भंडार की सुनिश्चित उपलब्धता, सेवा की विश्वसनीयता और सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से परिवहन की इकाई लागतों में कमी के संदर्भों में राज्य को भार परिवहन के नए युग में ले जाएगा।

3.7.3 वर्तमान में, राजस्थान में कनकपुरा (जयपुर), जोधपुर और कोटा में तीन कॉनकोर रेल हेड आई.सी.डी. हैं। राज्य में विस्तृत रुप से पनपते नए कारोबारी अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए, उदयपुर के निकट खेमली में एक अन्य आई.सी.डी.स्थापित किया जा रहा है जहां पत्थर निर्यात कारोबार की प्रचुरता के कारण कारोबारी अवसर काफी अच्छे हैं।

3.7.4 डी.एम.आई.सी. में कम से कम तीन क्षेत्रों, नीमराना–भिवाडी, भीलवाड़ा–चित्तौड़गढ़ और जयपुर क्षेत्र में मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। राज्य में पीपीपी आधार पर और निजी क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्कों के विकास के लिए सरकार सहयोग प्रदान करेगी।

3.8 प्रचुर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना

3.8.1 राजस्थान में वर्तमान संस्थापित क्षमता (1.12.2009 तक) 7716 मेगावॉट की है। वित्तीय वर्ष 2013–14 तक लगभग 10,000 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता विस्तार की योजना है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान संस्थापित क्षमता 883 मेगावॉट है जिसमें पवन ऊर्जा का 852 मेगावॉट भाग शामिल है। राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य का क्षमता विस्तार कार्यक्रम है।

3.8.2 राजस्थान सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कुछ समय पहले ही महत्वपूर्ण सुधार (फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम) किए गए हैं। पूर्व में की गई प्रगति की भविष्य में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पूर्वसचेत निगरानी और समुचित परियोजना प्रबंधन अनिवार्य हैं।

3.8.3 भावी लक्ष्यों की प्राप्ति करने और राज्य की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए राजस्थान सरकार पारंपरिक और गैर–पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने के क्षेत्र में निजी सहभागिता को प्रेरित करेगी।
ऊर्जा क्षेत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख कदम निम्न हैं:

3.8.4. हरित ऊर्जा प्रेरण

a) विशेष रूप से सौर ऊर्जा के साथ अपनी भारी संभावनाओं के कारण राजस्थान अक्षय ऊर्जा से जुड़े ग्रिड का प्रमुख शक्तिकेन्द्र बन सकता है। 11 जनवरी, 2010 को 'राष्ट्रीय सौर अभियान' (नेशनल सोलर मिशन–एन.एस.एम.) आरंभ किया गया है। जीवाश्म–ईंधन आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को स्पर्धी बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ, ऊर्जा उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करना एन.एस.एम. का लक्ष्य है।

b) राजस्थान में सौर ऊर्जा की भारी संभावनाएं हैं। राज्य में बंजर भूमि के विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध हैं। यदि

समुचित प्रोत्साहन/छूटें प्रदान की जाएं तो राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी हो सकता है।

c) अक्षय/गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने एक समग्र, गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन नीति–2004 को लागू किया हुआ है जो वर्तमान में प्रभावी है।

d) गैर–पारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन हेतु वर्तमान नीति निवेशकों/ऊर्जा उत्पादकों को अनेक प्रेरक प्रदान करती है। ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न अन्य प्रेरकों के अतिरिक्त भूमि रियायती दरों पर (डी.एल.सी. दरों का 10 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जाती है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को सरकार प्रशासित योजनाओं के अंतर्गत पात्र उद्योगों के रूप में मान्यता दी जाती है।

e) बायोमास, पवन और सौर स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य सरकार अलग–अलग नीतियां निर्गमित करने की प्रक्रिया में है। हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं में क्रियान्वित करने को निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड से समन्वय के साथ सुगम बनाएगा।

3.8.5. औद्योगिक संकुलों/पार्कों को 24x7 विद्युत आपूर्ति के लिए एस.पी.वी.

a) भारतीय विद्युत अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों या औद्योगिक उपयोक्ता समूहों को कैप्टिव विद्युत वितरण के लिए एक एस.पी.वी. स्थापित किया जा सकता है।

b) निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एस.पी.वी. आधार पर ऐसी कैप्टिव विद्युत वितरण कंपनियों की स्थापना हेतु राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। किसी क्षेत्र विशेष की औद्योगिक इकाईयां, विद्युत उपलब्ध कराने के लिए एसपीवी से दीर्घकालिक समझौता कर सकेंगी। उत्पादन संयंत्र के लिए आवश्यक स्थान औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। अपेक्षित अनुमोदनों की प्राप्ति हेतु एस.पी.वी. संबंधित प्राधिकरणों से समन्वय हेतु उत्तरदायी होगी।

3.9 दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक गलियारे का लाभ प्राप्त करना

3.9.1 अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक संवृद्धि प्राप्त करने और औद्योगिक क्षेत्रों से देश के प्रमुख भागों तक माल के आवागमन की समस्याओं से निबटने के एक प्रमुख प्रयास के अंग के रूप में स्वर्णिम चतुर्भुज और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाले इसके विकर्णों के साथ 'डेडिकेटेड मल्टी–मोडल हाई एक्सल लोड फ्रेट कॉरिडोर' विकसित करने की भारत सरकार की योजना है।

3.9.2 दिल्ली–मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर (वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में संदर्भित) के अतिरिक्त एक 'दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' (डी.एम.आइ.सी.) भी स्थापित किया जा रहा है। डीएफसी के दोनों ओर 150 किमी. के विस्तार तक मजबूत आर्थिक आधार निर्मित करना, और स्थानीय वाणिज्य को प्रोत्साहित करने, विदेशी निवेशों को बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट आधारभूत ढांचे के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिवेश उपलब्ध कराना डी.एम.आइ.सी. के उद्देश्य हैं। प्रमुख क्षेत्रों के अतिरिक्त, डी.एम.आइ.सी. में दूरस्थ क्षेत्रों/बाजारों और पश्चिमी तट के चयनित पत्तनों से अपेक्षित फीडर रेल/सड़क सम्पर्क का विकास किया जाना भी शामिल है।

3.9.3 दिल्ली मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर के संदर्भ में राजस्थान राज्य सामरिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति में है। इस कॉरिडोर की कुल लम्बाई का लगभग 39 प्रतिशत भाग राजस्थान से गुजरता है और कुल डी.एम. आइ.सी. प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस एरिया (पी.आइ.ए.) का 46 प्रतिशत भाग राजस्थान में पड़ता है। डी.एम.आइ. सी. के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख जिलों में अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर,

जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, नागौर, पाली, सीकर और सिरोही हैं।

3.9.4 डी.एम.आइ.सी., राज्य के लिए विकास के वृहद् अवसर प्रदान करता है। डी.एम.आइ.सी. के साथ समुचित आधारभूत ढांचे का विकास, प्रदेश में औद्योगिक विकास और संवृद्धि प्रेरित करने की कुंजी है।

3.9.5 राजस्थान में डी.एम.आइ.सी. के साथ चिन्हित कुछ शुरूआती परियोजनाएं निम्न हैं:

i. **शाहजहांपुर–नीमराना–बहरोड (एस.एन.बी.) नॉलेज सिटी**

राज्य सरकार का एक नॉलेज सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है जो विभिन्न प्राविधिक और व्यावसायिक ट्रेड में शिक्षा प्रदान करने वाले अकादमिक संस्थानों/शाखा परिसरों से युक्त एक सुसंगठित शिक्षा आधारित नगर होगा।

ii. **ग्लोबल सिटी को अजरका होते हुए भिवाडी–टपुकड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से जोड़ने के लिए सेन्ट्रल स्पाइन**

प्रस्तावित ग्लोबल सिटी और भिवाडी–टपुकड़ा कॉम्प्लेक्स के बीच राजस्थान की सीमा में पड़ने वाला क्षेत्र, भावी औद्योगिक व गैर–औद्योगिक विकास के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, ग्लोबल सिटी को भिवाडी–टपुकड़ा कॉम्प्लेक्स से जोड़ने वाली एक केन्द्रीय स्पाइन परियोजना पर विचार किया गया है।

iii. **ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना**

डी.एम.आइ.सी. क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें एक हवाई अड्डा, बिजनेस पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक पार्क, कार्गो वेयरहाउसिंग पार्क, वितरण केन्द्र, सूचना तकनीकी कॉम्प्लेक्स, होलसेल मर्चेन्डाईज़ मार्ट्स, पर्यटन और शैक्षणिक पार्क, आवासीय और अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं हवाई अड्डे में तथा बाहर स्थित होंगी।

3.10 विशेष निवेश क्षेत्रों का विकास

3.10.1 राज्य में औद्योगिक विकास, संकुलों का विकास करने, विशिष्टीकृत पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक सम्पदा विकसित करने की वर्तमान विधियों से आगे बढ़कर, विकास के अगले चरण में एक नए मॉडल के रूप में विशेष निवेश क्षेत्रों (एस.आइ.आर.) के विकास की ओर अग्रसर होगा। इन निवेश क्षेत्रों में बड़े निवेश किया जाना, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा व्यवस्थाएं विकसित किया जाना अपेक्षित है। क्षेत्र का बड़ा भाग, 100 वर्ग किमी. या अधिक को वैश्विक तथा घरेलू निवेशों को आकृष्ट करने के लिए उनके अपने औद्योगिक, सामाजिक और नगरीय आधारभूत ढांचे के वैश्विक मानकों के अनुरूप विकास हेतु अलग रखा जाएगा। इन एस.आइ.आर. को आगामी डी.एम.आइ.सी. और डीएफसी परियोजनाओं के साथ अनुषांगिक रूप में विकसित किया जाना अपेक्षित है।

3.10.2 ऐसे बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सक्षम बनाने के लिए, एक एस.आइ.आर. अधिनियम बनाया जाएगा। अधिनियम के उद्देश्य निम्न होंगे:

i. सरकार को राज्य में विशेष निवेश क्षेत्रों को विकसित करने, परिचालित करने और विनियमित करने में सक्षम बनाना।

ii. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्वरित करने के लिए राज्य सरकार को निवेश क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने और उनको अधिसूचना के माध्यम से विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आइ.आर.) का दर्जा प्रदान करने हेतु सशक्त किया जाएगा।

iii. अधिनियम, सरकार को प्रत्येक एस.आइ.आर. के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की स्थापना हेतु भी समर्थ बनाएगा।

iv. क्षेत्रीय प्राधिकरण, निजी भूस्वामियों से परस्पर बातचीत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण में सहायता करेंगे। इन्हें एस.आइ.आर. में होने वाले क्रियाकलापों हेतु सरकारी भूमि को अंतरित करने का अधिकार होगा और यह एस.आइ.आर. में टाउनशिप के विकासकर्ता को भूमि को कृषि उद्देश्यों वाली भूमि से गैर–कृषि भूमि में परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान करेगा।

3.10.3 दस लाख लोगों को औद्योगिक और गैर–औद्योगिक निवेशों के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ नियोजित करने के लिए पहले एस.आइ.आर. की स्थापना शाहजहांपुर–नीमराना–बहरोड (एस.एन.बी.) क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा।

3.10.4 **राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश क्षेत्र (नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन)**

निवेशों को आकृष्ट करने और गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा तथा सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से डी. एम.आइ.सी. क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश क्षेत्र की स्थापना की जाएगी।

3.11 औद्योगिक टाउनशिप और नगरीय आधारभूत ढांचे का विकास

3.11.1 औद्योगिक विकास और नगरीय विकास, एक दूसरे के पूरक हैं।

3.11.2. **एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र / टाउनशिप**

औद्योगिक रूप से विकसित केन्द्रों के आसपास अनियोजित विस्तार को रोकने के लिए, सरकार आवासीय और अन्य नगरीय सुविधाओं के साथ एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों / टाउनशिप स्थापित किए जाने को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रेरित किया जाएगा।

बड़े आकार के एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों / टाउनशिप का 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय और अन्य संबंधित सामाजिक आधारभूत ढांचे सम्बंधी क्रियाकलापों हेतु चिन्हित किया जाएगा। आधारभूत ढांचा, जैसे जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य नागरिक सेवाएं, एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों / टाउनशिप के विकास हेतु उत्तरदायी सक्षम एजेंसी द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी।

3.11.3 नियोजित नगरीय विकास और नगरीय क्षेत्रों में निवेश के लिए **नगर एवं देहात नियोजन अधिनियम** प्रतिपादित किए जाने की प्रक्रिया में है और शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा।

3.11.4 व्यापार और कारोबार के सहज और त्वरित क्रियान्वयन के लिए प्रमुख नगरीय केन्द्रों में तथा आसपास व्यापार और वित्त केन्द्र, कारपोरेट मुख्यालय, प्रदर्शनी केन्द्र, सम्मेलन केन्द्र और अन्य सुविधाओं को विकसित किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

3.11.5 जयपुर को वर्ल्डक्लास ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस उद्देश्य से जयपुर में निम्न परियोजनायें प्रमुखतया पीपीपी आधार पर स्थापित की जायेंगीः

a) विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला परिसर
b) विश्वस्तरीय सम्मेलन केन्द्र
c) अंतर्राष्ट्रीय रत्न सर्राफा (जैम बूर्स)
d) शैक्षणिक टाउनशिप

3.12 प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना

3.12.1 औद्योगिक विकास से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता का है। पर्यावरण अनुकूल, कम प्रदूषणकारी और पानी की कम खपत वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य उपयुक्त नीतिगत उपाय अपनाएगा।

3.12.2 उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आर.पी.सी.बी) के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए पर्यावरणीय प्रभावों को घटाने के लिए जागरूकता निर्माण, शिक्षण कार्य सम्पादित करेगा।

3.12.3 पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना हटाए जा सकने योग्य पुनर्नवीकरणीय भारों को कम करने के लिए उद्योग विभाग स्वयं और आर.पी.सी.बी. के साथ मिलकर उद्योगों की वर्तमान हरित, लाल और नारंगी सूचियों की पुनर्समीक्षा करेगा तथा उन्हें न्यायोचित बनाएगा।

3.12.4 अगले 20 वर्षों के दृष्टिकोण के साथ हरित औद्योगिक पार्कों/एस्टेट्स को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इनकी योजना और निष्पादन के लिए हरित 'पर्यावरणीय मानक' मार्गदर्शक होंगे।

3.12.5 अपने सभी विद्यमान तथा नए औद्योगिक क्षेत्रों में रीको जल संचयन और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करेगा।

3.12.6 इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण और ई–कचरा पुनर्चक्रण इकाईयों की स्थापना को राज्य प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा। अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ई–कचरा, में अधिक, निष्प्रयोज्य या टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं।

3.12.7 सूचना तकनीक (आई.टी.) और आई.टी. सक्षम सेवाओं की इकाईयों को सामान्यतया वायु एवं जल संबंधी प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा।

3.12.8 पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना और औद्योगिक क्षेत्रों या व्यक्तिगत रूप से इकाईयों द्वारा अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग के लिए राज्य अपना सहयोग जारी रखेगा जैसा एम.एस.एम.ई. नीति में उल्लिखित है।

अध्याय

4 कौशल स्तरों और रोज़गारयोग्यता का विकास करना

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की निर्भरता इसके लोगों के ज्ञान और कौशलों पर बढ़ती जा रही है जो संवृद्धि में सक्षम बनाने वाला प्रमुख कारक है। इस प्रकार, राजस्थान के लोगों के लिए कौशल विकास और रोज़गारयोग्यता में सुधार करना, राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

नीति का उद्देश्य, उद्योग और बाजार आधारित विशिष्ट कुशलताओं का निर्माण और इसी प्रकार राज्य की कार्मिक शक्ति की रोज़गारयोग्यता बढ़ाना है। इसे प्रमुख रूप से उद्योगों तथा भागीदारों की संलग्नता और सहभागिता द्वारा किया जाएगा।

राज्य में न केवल प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे बल्कि वर्तमान आई. टी. आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजों को ऐसी प्रशिक्षण क्षमताओं से सुसज्जित किया जाएगा जिससे कार्मिकशक्ति की उत्पादकता और रोज़गारयोग्यता बढ़ाई जा सके। रोजगार के नए अवसरों के लिए न केवल अच्छे कार्यात्मक कौशलों, क्षेत्र सम्बंधी सभी स्तरों हेतु प्रतिस्पर्धी क्षमता की आवश्यकता होगी बल्कि अनेक 'सॉफ्ट' कौशलों की भी जरूरत होगी। विभिन्न क्षेत्रों, जैसे ऑटो तथा इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, वस्त्रोद्योग, खनन और खनिज, तेल तथा गैस, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन एवं सत्कार, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, विनिर्माण और आई. टी./आई. टी. ई. एस. के लिए तैयार प्रतिभाओं का 'टैलेंट पूल' निर्मित किए जाने की योजना है।

प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं:

4.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 'सेन्टर्स ऑफ एक्सीलैन्स' में बदलना

I. चूंकि वर्तमान में आई. टी. आई. संस्थान, उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार नहीं कर पा रहे हैं, अतः विविध कुशलतायुक्त जनशक्ति तैयार करने हेतु प्रशिक्षण में सुधार के लिए, भारत सरकार द्वारा पी. पी. पी. आधार पर एक योजना (स्कीम टू अपग्रेड इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर्स इन्टू सेन्टर ऑफ एक्सीलैन्स) लागू की गई है ताकि तुलनात्मक रोज़गारयोग्यता अधिक बढ सके।

II. भारत सरकार की योजना की तर्ज पर राजस्थान सरकार एक नई योजना के आधार पर उद्योग जगत को ऐसे और आई. टी. आई. अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। संस्थान प्रबंधन समिति को सशक्त बनाया जाएगा और राज्य योजना में ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे।

4.2 सेवारत प्रशिक्षण के लिए 'ट्रेन टू गेन' योजना

I. हमारी जनशक्ति की रोजगारपरकता बढ़ाने और नियोजकों को उनके कार्य के लिए उपयुक्त

मानवशक्ति प्राप्त करने में मदद के लिए सरकार ऐसी कंपनियों का सहयोग करेगी, जो अकुशल व्यक्तियों को कुशल मानवशक्ति में बदलने के लिए अपने परिसर में सेवारत प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए 'ट्रेन टू गेन' नामक एक नई योजना लागू की जाएगी।

II. ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए उनके वेतन या मानदेय का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में नियोजकों को उपलब्ध कराया जाएगा जो प्रति प्रशिक्षु/प्रति माह रू. 2000 तक सीमित होगा। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले नियोजकों द्वारा 50 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

4.3 कौशल मापन एवं सर्वेक्षण

I. एक प्राधिकृत एजेंसी, निर्माण क्षेत्र समेत सेवाओं, स्वरोजगार और उद्यमिता पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों/व्यवसायों में कौशल/रोजगार के लिए उभरते अवसरों पर वर्तमान अनुसंधानों को आगे बढ़ाएगी।

II. राजस्थान में अनौपचारिक क्षेत्र का रोजगार हेतु महत्वपूर्ण योगदान है; राज्य में अनौपचारिक क्षेत्र में अनुमानित 1.84 मिलियन उद्यम हैं जो 2.9 मिलियन से अधिक कामगारों के लिए रोजगार सृजित करते हैं। साथ ही, वर्तमान में अनौपचारिक क्षेत्र के 70 प्रतिशत से अधिक उद्यम निर्माण, व्यापार और मरम्मत गतिविधियों में शामिल हैं।(स्रोत– श्रम विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाईट)

इन कामगारों को चिन्हित करने और इनके कौशल स्तरों के मापन के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों का अलग से एक सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर एक कार्यक्रम पैकेज तैयार किया जाएगा।

4.4 सेवा क्षेत्रों के लिए कौशल विकास

आई. टी., आई. टी. ई. एस. तथा अन्य सेवा क्षेत्रों, जैसे सत्कार आदि से संबंधित कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अति कुशल, अंग्रेजी भाषी मानवशक्ति एक प्रमुख पूर्वापेक्षा है। इसके लिए, अंग्रेजी बोलने और लिखने की बुनियादी क्षमताओं में वृद्धि हेतु राज्य में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संस्थाकृत करने और इसकी व्यापकता को बढ़ाने के लिए राज्य निम्नलिखित कदम उठाएगाः

I. विश्व के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर कार्यक्रम के लिए प्रमाणन का विकास।

II. ऐसे पाठ्यक्रमों का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में कॉलेजों और निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के गहन नेटवर्क द्वारा डिप्लोमा कार्यक्रम चलाया जाएगा।

III. अंग्रेजी बोलने और लिखने के उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और पॉलीटेक्निक संस्थानों में विद्यमान अंग्रेजी पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन किया जाएगा।

IV. पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए प्रशिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण के समग्र पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा।

4.5 प्रशिक्षण सम्बंधी विद्यमान आधारभूत ढांचे का उपयोग किया जाना

सरकार शैक्षणिक संस्थानों तथा आई. टी. आई. स्कूलों व कॉलेजों में वर्तमान कक्षा सुविधाओं की एक सूची तैयार कराएगी जिन्हे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता हो। निजी प्रशिक्षण प्रदाता, अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए इन परिसरों का उपयोग कर सकेंगे।

4.6 उद्यमिता विकास

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राज्य के सभी जिलों में

ग्रामीण विकास एवं स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.) स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान करती रहेगी। आगामी पांच वर्षों में राज्य के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण विकास एवं स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। इन संस्थानों का प्रबंधन मुख्य रूप से निजी सहयोग द्वारा किया जाएगा।

4.7 राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ

भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को उन्नत कौशल, ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त योग्यता प्रदान करते हुए सशक्त बनाना है ताकि वे श्रेष्ठ रोजगार प्राप्त करते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता सुनिश्चित कर सकें। भारत सरकार की वर्तमान योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और इनको राज्य सरकार के कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। श्रम और रोजगार विभाग इसका समन्वयन करेगा और इसकी प्रगति की निरंतर निगरानी करेगा।

4.8 नई योजनाओं का क्रियान्वयन

उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप, कौशल विकास को सक्षम बनाने के लिए सरकार और उद्योगों के बीच सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

I. औद्योगिक क्षेत्रों/संकुल आधारित प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना

औद्योगिक क्षेत्रों या संकुलों के निकट प्रशिक्षण सम्बंधी आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों/औद्योगिक संकुलों और सेज़ में निर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिए कुशल मानवशक्ति प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना आरंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के लिए अधिकतम 1 करोड़ रूपए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

II. वर्तमान संस्थानों में नए उद्योग सम्बंधित पाठ्यक्रमों के लिए योजना

रोज़गार क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक संस्थानों को अपनी रोज़गारयोग्यता में सुधार के लिए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। उद्योग जगत की भागीदारी के साथ आवश्यक आधारभूत ढांचे और संकाय वाले चयनित शैक्षणिक संस्थानों में निम्न उपाय अपनाते हुए विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगेः

a. नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रमुख संस्थान

i) अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए और पर्यटन, कृषि परिरक्षण, विनिर्माण, आई. टी./आई. टी. ई. एस., ऑटो तथा इंजीनियरिंग और वस्त्रोद्योग जैसे विशिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम व्यवहृत करने के लिए प्रमुख संस्थान, जो राजस्थान में कोई विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान या संचालित संस्था हो सकते हैं, को नए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए, चयनित किया जाएगा।

ii) वर्तमान आईटीआई/पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज/डिग्री कॉलेज नए पाठ्यक्रमों को संचालित करेंगे।

iii) ऐसे संस्थानों को, पूंजी तथा परिचालन व्यय प्रतिपूर्ति सहित, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

b. औद्योगिक साझीदारों द्वारा लघु अवधि के ब्रिज पाठ्यक्रम

i) कोई भी औद्योगिक घराने/औद्योगिक संघ/संस्थान एक निर्धारित अवधि के लिए वर्तमान

आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेजों/डिग्री कॉलेजों में अपनी आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर सकेंगे।

ii) औद्योगिक साझीदार, आयोजक संस्थान को पाठ्यक्रम के सुगम संचालन के लिए तथा आयोजक संस्थान में अपेक्षित क्षमताएं विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण सामग्री, उपकरण और तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन देने और संस्थान के संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा। मशीनरी और उपकरणों की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 100 लाख की सीमा तक सरकार द्वारा अनुदानित किया जाएगा।

III. नई प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की योजना

निजी क्षेत्र को नए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित करने हेतु निम्न नई योजनाएं लागू की जानी प्रस्तावित हैं:

a. निजी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की योजना

i. प्रतिष्ठित संस्थानों, संस्थाओं, औद्योगिक संघों द्वारा निजी क्षेत्र में ऐसे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में सहायता के लिए राज्य सरकार एक योजना आरंभ करेगी जो प्रमुखतया रोजगार अवसरों पर आधारित व्यावसायिक तथा तकनीकी कौशल वृद्धि कर सकें।

ii. योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा प्रवर्तित किसी संस्थान को भूमि लागतों के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेशों को सम्मिलित करने के लिए परियोजना लागत की 75 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रूपए है।

b. राजीव गांधी कौशल स्कूल

i. युवाओं, विशेषकर निर्धन और स्कूल छोड़ देने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उन्हें संगठित क्षेत्र के लिए रोजगार योग्य बनाने के लिए तकनीकी रूप से समुन्नत राजीव गांधी कौशल स्कूलों (आर. जी. एस. एस.) की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र में अग्रणी संस्थाओं का सहयोग करेगी। ये स्कूल, लक्षित युवाओं को विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापूर्ण, बाजार हेतु उपयोगी, रोजगार संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और इनमें प्रत्येक वर्ष कम से कम 1000 छात्रों को प्रशिक्षित करने की क्षमता के साथ संस्थानिक भवन, कक्षा, उपकरण कक्ष, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, छात्रावास और जलपानगृह आदि सुविधाएं होंगी।

ii. इन स्कूलों को राज्य सरकार, प्रशिक्षण संस्था और एक औद्योगिक साझीदार के मध्य त्रिपक्षीय व्यवस्था के आधार पर स्थापित किया जाएगा।

iii. प्रशिक्षक, पाठ्यक्रम सामग्री और विषयवस्तु को विकसित करेगा तथा आवश्यक आधारभूत ढांचे को संकाय के साथ व्यवस्थित करेगा और केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जोड़ते हुए संसाधन प्राप्त करने हेतु भी उत्तरदायी होगा।

iv. स्कूल स्थापित होने के बाद, सम्पूर्ण परिचालन और स्कूल के रखरखाव के लिए प्रशिक्षक उत्तरदायी होगा।

v. आरंभिक आधारभूत ढांचे और पूंजी का प्रबंध सरकारी सहायता से किया जाएगा।

vi. आरंभिक पूंजी तथा परिचालन लागतों को साझा करने के लिए सरकार, सामान्य रूप से औद्योगिक संघ या औद्योगिक घराने की मदद लेगी। सामान्यतः इन स्कूलों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्रों को औद्योगिक साझीदार या संघ के सदस्यों द्वारा रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा।

vii. आर.जी.एस.एस. की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

c. तकनीकी संस्थानों की स्थापना

तकनीकी संस्थानों, जैसे इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., एम.सी.ए., बी.फार्मा आदि की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बिना किसी परिवर्तन शुल्कों के परिवर्तित की जाएगी। जहां 50 करोड़ रूपए या अधिक का निवेश ऐसे संस्थानों की स्थापना में किया जाएगा, वहां प्रवर्तक को भूमि उद्योगों के उपयोग हेतु आरक्षित कीमतों के 50 प्रतिशत उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय

5 भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना

निवेश परियोजनाओं के लिए वाजिब कीमत पर भूमि की त्वरित और आसान उपलब्धता, अधिकांश निवेशकों की प्राथमिकता है। भारत में, अनुत्पादक और कम उर्वर भूमि वाला सबसे बड़ा राज्य होने के नाते, राज्य में निवेश को आकर्षित करने और सुगम बनाने के लिए, भूमि का लाभ संसाधन की तरह उठाया जा सकता है।

5.1 भूमि की उपलब्धता आसान बनाने के लिए निम्न उपाय किए जायेंगेः

- भूमि उपयोग परिवर्तन/भूमि का रूपांतरण/रूपरेखा योजना/भवन मानचित्र आदि के अनुमोदन की प्रक्रियाओं को आसान बनाना
- भू अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण
- भूमि बैंक का सृजन
- निवेशों के लिए भूमि से लाभ प्राप्त करने के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देशों का निरुपण

5.2 भूमि उपयोग परिवर्तन/भूमि का रूपांतरण/रूपरेखा योजना/भवन मानचित्र आदि के अनुमोदन की प्रक्रियाओं को आसान बनाना

5.2.1 जहां कहीं कस्बों और शहरों के मास्टर प्लान में भूमि का विशेष उपयोग निर्दिष्ट हो, ऐसी भूमि को ऐसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति के बिना उपयोग किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्षेत्र औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए चिन्हित है, तो ऐसे क्षेत्रों को भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति के बिना ऐसे औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

5.2.2 राजस्थान भूमि राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2007 के वर्तमान प्रावधान के तहत व्यवस्था है कि सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन को आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निस्तारित कर दिया जाना चाहिए।

5.2.3 कुछ विभागों या एजेंसियों, जैसे कि वन, पर्यावरण, नगर नियोजन, पंचायत आदि से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के अभाव में रूपांतरणों में प्रायः विलम्ब होता है। रूपांतरणों को त्वरित करने के लिए, अब से विभागों और एजेंसियों को उत्तर देने हेतु अधिकतम 15 दिवस

का समय उपलब्ध होगा। यदि 15 दिवस के अंदर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, यह मान लिया जायेगा कि उक्त विभाग या एजेंसी को ऐसे रूपांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे विभाग या एजेंसी से किसी औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार रूपांतरण हेतु आवेदन को निस्तारित कर देगा। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में सभी कारणों का विवरण दर्शाते हुए नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आवेदक को सूचित करेगा।

5.3 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण

5.3.1 भूमि के न्यायोचित और पारदर्शी अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्पष्ट नीति तैयार की जायेगी, जो किसानों के हितों की रक्षा करने के साथ बुनियादी ढांचे और अन्य निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि की त्वरित उपलब्धता को सुगम बनाएगी। रू. 100 करोड़ या इससे अधिक प्रस्तावित निवेश वाली परियोजनाओं के लिए, यदि विकासकर्ता द्वारा स्वयं 25 प्रतिशत भूमि क्रय कर ली जाती है, तो शेष 75 फीसदी भूमि के अधिग्रहण में सरकार सहयोग कर सकती है।

5.3.2. भूस्वामियों को सही मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए और मुआवजा राशि को लेकर विवाद और मुकदमेबाजी से यथासंभव दूर रहने के लिए, एक समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें राजस्व, वित्त और उद्योग विभागों के प्रतिनिधि शामिल हों, जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी को निष्पक्षतापूर्वक मुआवजा के अवार्ड निर्धारित करने में मदद के लिए, अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन करें और सही बाजार कीमत के बारे में सुझाव दें।

5.3.3 सिंगल यूनिट कॉम्प्लेक्स और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रकरणों के अतिरिक्त, विकसित की जाने वाली भूमि का एक भाग लेने का विकल्प भूस्वामियों को विशिष्ट आर्थिक मुआवजे के बजाय उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे भूस्वामी भूमियों को उन निर्धारित उद्देश्यों के लिये उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होंगे, अर्थात, इसका उपयोग, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय जैसा भी किसी मामले में उपयुक्त हो, किया जा सकता है।

5.4 भूमि बैंक सृजित किया जाना

5.4.1 जमाबन्दियां (भूमि अभिलेख) राज्य में विस्तृत रूप से कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। उचित समयावधि में इस जानकारी को ऑनलाईन उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है।

5.4.2 रोजगार सृजन करने वाली औद्योगिक और निवेश गतिविधियों के लिए राज्य के विभिन्न भागों में सरकारी निष्प्रयोज्य भूमि को चिन्हित किए जाने और उपयोग किए जाने के लिए प्रयास किए जायेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) आदि के पास उपलब्ध अतिरिक्त और उपयोग में न ली गई भूमि को संकलित कर भूमि बैंक सृजित किया जाएगा। इससे राज्य सरकार निवेशकों के तुरंत उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित कर सकेगा।

5.4.3 ऐसे भूखंडों का अग्रिम मूल्यांकन किए जाने की योजना है जो बाद में आर.आई.पी.बी., उद्योग विभाग या निवेश संवर्धन ब्यूरो की अनुशंसा के अनुसार निवेशकों को आवंटित किए जा सकेंगे। इससे राज्य सरकार निवेशकों के तुरंत उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित कर सकेगा।

5.5 निवेशों के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देशों का निरुपण

विभिन्न उद्देश्यों और मानकों के अनुरूप भूमि के रियायत आधारित आवंटन से सम्बंधित प्रावधानों को

स्पष्ट वर्णित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया जाएगा। कुछ मामलों में बढ़े हुए एफ.ए.आर. के लिए प्रावधान, निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा समयबद्ध आवंटन, तुरन्त पूर्ण भुगतान के स्थान पर वार्षिक किराया लीज पर लेने का विकल्प आदि को दिशानिर्देशों में सम्मिलित किया जाएगा।

अध्याय

6 एम.एस.एम.ई. संवर्धन पर विशेष बल

निवेश, संवृद्धि, रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन के लिए प्रगतिशील एम.एस.एम.ई. सेक्टर महत्वपूर्ण है। अपनी प्रकृति में कम पूंजी आधारित होने और उच्च श्रम खपत करने की क्षमता के कारण एम.एस.एम.ई. सेक्टर रोजगार उत्पन्न करने और ग्रामीण औद्योगीकरण में भी पर्याप्त योगदान कर सकता है। अपने अस्तित्व और प्रगति के लिए एम.एस.एम.ई. को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त की सुलभता, अनुसंधान तथा विकास संबंधी निवेश, तकनीक की सुलभता, उत्पाद नवोन्मेष, मार्केटिंग और ई–मार्केटिंग समर्थन आदि की आधारीय समस्याओं के समाधान के लिए एम.एस.एम.ई. नीति में आवश्यक उपाय किए गए हैं।

6.1 2008 में जारी की गई एम.एस.एम.ई. नीति के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. के लिए प्रोत्साहन जारी रखे जाएंगे।

6.2 संकुल विकास (क्लस्टर डवलपमेंट)

राज्य सरकार पूरे राज्य में एम.एस.एम.ई. के संकुल विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

6.2.1 नए उपाय

I. सरकार, राज्य में संकुलों के प्रोत्साहन को उच्च प्राथमिकता देगी। वर्तमान संकुलों को मजबूती प्रदान करने और नए संकुलों को चिन्हित करने के कार्य किए जाएंगे।

II. एम.एस.एम.ई. नीति 2008 में संकुल विकास को सहयोग देने के विद्यमान प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्न नए उपायों पर भी विचार किया गया है:

a. एस.पी.वी. आधार पर संकुल विकास हेतु वित्तीय सहायता की एक योजना लागू की जाएगी जिसकी निम्न विशेषतायें होंगी:

i. सरकार एम.एस.एम.ई. उद्यमी संगठनों को एम.एस.एम.ई. संकुल स्थापित करने के लिए एस.पी.वी. के माध्यम से आधारभूत ढांचे का विकास एवं सामुदायिक सेवाएँ जैसे कि सामुदायिक अपशिष्ट उपचार प्लांट, डिज़ाइन विकास एवं सामुदायिक हित हेतु अन्य सेवाएँ प्रदान करने को प्रोत्साहित करेगी।

ii. न्यूनतम महत्वपूर्ण 20 इकाईयों की संख्या वाले संकुल को विकसित करने वाली स्थिरक इकाईयों, नोडल संस्थान तथा/या औद्योगिक संघों को सामुदायिक सुविधाओं के विकास के लिए क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो संकुल में सदस्य इकाईयों की उत्पादकता और लागत कुशलता में सुधार कर सकें। ऐसे क्रियाकलापों में अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला/परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, बाजार समझ के लिए सूचना/डेटा बैंक निर्मित करना, सामान्य ब्रांडिंग और बाजार विकास क्रियाकलाप निर्मित

करना, उत्पादों का प्रदर्शन, सामान्य परिरक्षण इकाईयां आदि शामिल हैं।

iii. सरकार निजी भूमि को एम.एस.एम.ई. संकुलों की स्थापना हेतु बिना किसी परिवर्तन शुल्क के भूमि किस्म परिवर्तित करेगी।

iv. यदि ऐसे संकुलों की योजना सरकारी भूमि पर बनाई जाती है तो सरकारी भूमि डी.एल.सी. दरों के 50 प्रतिशत पर आवंटित की जाएगी। ऐसे संकुलों के लिए सरकार अपने व्यय पर सम्पर्क सड़क व्यवस्था स्थापित करेगी।

v. संकुल विकास योजना की कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी जिसकी सीमा 1.50 करोड़ रूपए तक होगी। यह वित्तीय सहायता, भारत सरकार द्वारा अपने संकुल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित की गई परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी और भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी।

b. अंतिम बिन्दु तक सम्पर्क सुविधा

I. महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा कार्यक्रम के अंतर्गत संकुल, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति के आधारभूत ढांचे के लिए और ऐसे पार्कों के निकटतम सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए अंतिम बिन्दु तक सम्पर्क सुविधा प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

II. पार्क के आंतरिक आधारभूत ढांचे, जैसे सड़कें, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, अपशिष्ट शोधन, सामान्य सुविधा केन्द्र आदि की लागतें विकासकर्ताओं द्वारा वहन की जाएंगी।

6.3 भारत सरकार की योजनाओं और वित्त का लाभ उठाना

6.3.1 भारत सरकार और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा परिचालित की जा रही संबंधित योजनाएं, जैसे एसाईड, क्रेडिट 'गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम', एम.एस.एम.ई. के लिए संकुल विकास कार्यक्रम, 'क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम' और तकनीकी उन्नयन योजना को एम.एस.एम.ई. उद्यमों के हित के लिए उपयुक्त रूप से जोड़ा जाएगा।

6.3.2 भारत सरकार की ऐसी योजनाओं में राज्य के अंश का योगदान करने के लिए प्रतिवर्ष रू. 5 करोड़ के एक समर्पित कोष की स्थापना की जाएगी। उद्योग आयुक्त के कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति इन योजनाओं के समन्वयन और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए की जाएगी।

6.4 राजस्थान हथकरघा विकास निगम (आर.एच.डी.सी.) को पुनर्जीवित करने के उपायों में राज्य सरकार सहयोग देगी। आर.एच.डी.सी. को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) और डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनीशिएटिव प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित) के अंतर्गत बुनकर समूहों को प्रशिक्षण की परियोजनाएं दी जाएंगी।

6.5 राजस्थान वित्त निगम सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदानित दरों पर ऋण प्रदान करने की एक विशेष योजना आरंभ करेगा।

अध्याय

7 विशिष्ट क्षेत्रों को प्रोत्साहन

पूंजी की प्रति इकाई का रोज़गार सृजन के अवसर कुछ क्षेत्रों मे तुलनात्मक रुप से अधिक है। कृषि प्रसंस्करण, कपड़ा, खनिज उत्पाद, हस्तकला, हथकरघा, रत्न और आभूषण जैसे कुछ क्षेत्रों में राजस्थान तुलनात्मक रुप से लाभपूर्ण स्थिति में है एवं उनका औद्योगिक उत्पादन में विशिष्ट स्थान हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों के लिए राज्य के पास कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इन सभी क्षेत्रों को विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7.1 राज्य सरकार निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करेगी :

i. आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. को समावेशित करते हुए नॉलेज (ज्ञान) क्षेत्र
ii. पर्यटन
iii. खनन एवं खनिज प्रसंस्करण
iv. रत्न एवं आभूषण
v. कृषि व्यवसाय
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. वृहद् निवेश
viii. एफ. डी. आई. / एन. आर. आई. के निवेश
ix. हस्तकला एवं हथकरघा
x. निर्यात
xi. पिछड़े क्षेत्रों का विकास
xii. हरित उद्योग
xiii. अन्य श्रम प्रधान क्षेत्र

7.2 इनमें से अधिकांश क्षेत्रों जैसे पर्यटन, खनन, आइ.टी.ई.एस. आदि के लिए राज्य सरकार की पहले से ही क्षेत्र विशिष्ट नीतियाँ हैं। ये नीतियाँ अबाध रुप से जारी रहेंगी।

7.3 आवश्यकतानुसार निवेश और व्यवसाय के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की दृष्टि से विद्यमान नीतियों की समीक्षा की जाएगी। मौजूदा नीतियों में प्रावधानों के अतिरिक्त, इन विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित अन्य उपायों का प्रावधान किया गया है:

7.3.1 ज्ञान क्षेत्र

I सरकार ज्ञान के विस्तार और उच्च कौशल आधारित गतिविधियों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने ई–गवर्नेंस के विकास को सुनिश्चित करने तथा ई–प्रशासन के लिए नागरिक–केन्द्रित व व्यवसाय–केन्द्रित वातावरण बनाने के लिए अपने वार्षिक बजट का 3 प्रतिशत पहले ही आरक्षित कर दिया है।

II **जिला बी.पी.ओ. योजना 2010**

a. आई.टी.ई.एस. उद्योगों को राज्य के दूरस्थ स्थानों तक पहुँचाने के लिए निजी व्यवसायियों को 'टियर 3' शहरों जैसे अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर आदि में बी. पी. ओ. केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी।

b. जिला बी.पी.ओ. योजना 2010 के एक भाग के रूप में, सरकार विभिन्न वित्तीय लाभ जैसे प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 20 लाख रूपये तक की पूंजी लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान, प्रदान करेगी। इस योजना में प्रशिक्षण के परिचालन लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जा सकेगा परन्तु यह लागत 10,000 रूपये प्रति प्रशिक्षु से अधिक नहीं होगी। इसके एवज में कम्पनियों को प्रशिक्षुओं की एक निश्चित संख्या को रोजगार देने की गारंटी देनी होगी। उम्मीदवारों को कम्पनी में कम से कम एक वर्ष तक कार्य करने के लिए सहमत भी होना होगा।

7.3.2 पर्यटन

I. पर्यटन क्षेत्र के लिए भूमि

a. पर्यटन इकाई के लिए भूमि का आवंटन पर्यटन इकाई नीति 2007 में प्रदत्त दरों के अनुसार होगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का रूपान्तरण, रूपांतरण व विकास शुल्क से पूरी तरह मुक्त होगा। पर्यटन इकाई हेतु भूमि की नीलामी के लिए मौजूदा प्रावधान की समीक्षा की जायेगी।

b. पर्यटन को एक उद्योग घोषित कर दिया गया है, अतः रीको, पर्यटन इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दरों पर भूमि उपलब्ध करायेगा।

II. पधारो सा, 'वे–साइड फेसिलिटी' योजना

a. 'पधारो सा' एक अभिनव योजना है जो निम्न लाभ प्रदान करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण 'वे–साइड' सुविधाओं के विकास द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अधिक रोज़गार के अवसर सृजन को लक्षित हैः

i. गुणवत्तापूर्ण भोजन, प्रसाधन सुविधाओं की आसान सुलभता
ii. कुशल और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं
iii. बड़े पैमाने पर रोजगार
iv. पर्यटन में लघु उद्यमियों द्वारा निवेश

b. पधारो सा' इकाई की डिजाइन विशिष्ट व ब्रांडेड होगी। इसमें रेस्टोरेंट, सुविनियर शॉप्स, सार्वजनिक टेलीफोन और कॉफी शॉप्स प्रकार की इकाईयाँ सम्मिलित होंगी।

c. अनुमोदित इकाईयों को प्रोत्साहन के रूप में निर्माण/नवीनीकरण की लागत का 25 प्रतिशत–अधिकतम 5 लाख रूपये तक–भी प्रदान किया जाएगा।

d. राज्य में दो वर्ष में इस प्रकार की 100 वेसाइड इकाईयों के विकास की राज्य सरकार योजना रखती है।

7.3.3 खनन एवं खनिज प्रसंस्करण

7.3.3.1 मूल्यवर्धन के आधार पर खनन और खनिज विकास अधिनियम, 1957 के धारा 11 (5) (या नये अधिनियम में सदृश अनुभाग) के तहत खनन पट्टों के आवंटन के लिए प्राथमिकता का निर्णय नीचे सूचीबद्ध क्रम में मानदंड के आधार पर किया जाएगा :

a. निवेश की मात्रा (न्यूनतम 100 करोड़ रूपए निवेश संवर्धन ब्यूरो के प्रमाणन अनुसार)
b. अयस्क स्तर पर मूल्य संवर्धन
c. नई तकनीकों का समावेशन
d. आधारभूत ढांचे का निर्माण
e. मशीनीकरण, स्वचालनीकरण और कम्प्यूटरीकरण, दीर्घकालिक विकास और अन्वेषण विकास गतिविधियाँ

7.3.3.2 प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यसंवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों के स्व–प्रयोग के लिए जिप्सम, लिग्नाइट, सिलिका आदि जैसे खनिज पदार्थों के खनन हेतु खान आवंटन के अनुरोधों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी। इस हेतु, यदि आवश्यक हुआ तो उचित प्रावधान किये जायेंगे।

7.3.4 रत्न एवं आभूषण

राजस्थान में रत्न और आभूषण उद्योग की लम्बी परंपरा है जो लाखों कारीगरों को रोजगार देती है। हमारे व्यापारियों एवं कारीगरों की उद्यमिता और कौशलों ने राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सहायता की है। इस उद्योग को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सहयोगी उपाय किये जायेंगेः

a. सरकार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रत्न एवं आभूषण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। भूमि, मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए 50 प्रतिशत लागू आरक्षित या डी. एल. सी. दर या कूपन दर के 10 प्रतिशत पर आवंटित की जाएगी।
b. उद्योग संघों को हॉलमार्क प्रमाणन केन्द्र एवं रत्न परीक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए ब्याज में अनुदान प्रदान किया जाएगा, यदि वे इसे लाभ प्राप्त न करने के उद्देश्यों से एक अलग वैध इकाई के रूप में स्थापित करेगे।
c. **जैम बूर्सः** सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जैम बूर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। शहर के केन्द्र में अवस्थित स्थान पर भूमि रियायती दरों पर प्रदान की जाएगी। यह परियोजना लाभ प्राप्त न करने के उद्देश्यों से एक अलग वैध इकाई के रूप में स्थापित की जानी होगी।

7.3.5 कृषि कारोबार

I. किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 'कृषि व्यवसाय संवर्धन एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक नई नीति ''द पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रो प्रोसैसिंग एण्ड एग्री बिज़नस, 2010'' की घोषणा की जा चुकी है। यह नीति राज्य में कृषि व्यवसाय और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, कृषि प्रसंस्करण और विपणन के समग्र मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने और विकास करने के साथ आपूर्ति श्रृंखला, बाजार के विकास और विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

II. एक मसाला पार्क जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है।

7.3.6 कपड़ा तथा परिधान

राजस्थान में परिधान उद्योग की प्रगति और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इस उद्योग में रोजगार प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस तरह की परिधान कम्पनियों का सहयोग करेगी जो नौकरी पर प्रशिक्षण देकर अपरिपक्व कर्मियों को कुशल श्रमिकों में बदलें। एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी जिसमें प्रशिक्षण उपकरणों और सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान शामिल होगा। प्रशिक्षकों की लागत के भाग और प्रशिक्षुओं के मानदेय पर भी अनुदान प्रदान किया जाएगा।

7.3.7 बड़े निवेशों को आकृष्ट करना

I. राज्य का एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में रूपांतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक बड़ी परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से विकास उचित माना गया है। राज्य सरकार ऐसे मेगा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने एवं उनकों सुगम बनाने में इच्छुक है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनका गुणात्मक प्रभाव हो, रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करते हों तथा समावेशी विकास प्रकृति के हो। बड़ी व मेगा परियोजनायें एस.एम.ई. क्षेत्र में अनुषांगिक तथा सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहित करती हैं।

II. इस प्रकार बड़ी परियोजनाओं के विकास को सम्बंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए मुख्य रणनीति के रूप में अपनाने पर विचार किया जा रहा है। वृहद परियोजनाओं के लिए प्रत्येक मामले की योग्यता के अनुसार वित्तीय लाभों/प्रोत्साहन का विशेष पैकेज दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। चूंकि वृहद परियोजनाओं को सहायक इकाईयों द्वारा सहयोग की भी आवश्यकता होगी इसलिए ऐसी इकाईयों को भी इस पैकेज के भाग के रूप में सहायता प्रदान की जायेगी।

III. राज्य में वृहद परियोजनाओं के संवर्धन के लिए सुविधायें मुख्य रुप से निम्नलिखित परिसीमा के अंतर्गत लागू होंगी :

केंद्रित क्षेत्रों में वृहद परियोजनाऐं जिसमें ऑटो व ऑटो उपकरण, विमानों के लिए मेंटेनेंस रिपेयरिंग ऑपरेशन (एम. आर. ओ.) केन्द्र तथा कुछ अन्य परियोजनाएं जो सरकार द्वारा प्रोत्साहन के लिए निर्धारित की गई हों, सम्मिलित करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। इसमें आधारभूत ढांचागत क्षेत्र जैसे मेट्रो रेल लाइन, फूड पार्क, हाई स्पीड ट्रेन तथा सरकार द्वारा परियोजनाओं की अन्य श्रेणियाँ भी शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, इसमें नवीन परियोजनाएं जो सरकार द्वारा निर्धारित हों, को भी शामिल किया जा सकता है। नवीन परियोजनाओं की परिभाषा के लिए मानकों का सूची विकसित की जायेगी।

7.3.8 विदेशी निवेश

राज्य सरकार विशेषकर उच्च तकनीक और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी निवेश का स्वागत करेगी। राज्य सरकार विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक के लिये गठबंधनों को प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) को बुनियादी परियोजनाओं, विशेषकर विद्युत उत्पादन, बंदरगाह विकास, सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ–साथ सामाजिक ढांचा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एफ. डी. आई. निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा।

7.3.9 प्रवासी भारतीय

प्रवासी राजस्थानियों की एक बड़ी संख्या पूरे विश्व के विभिन्न देशों में बसी है। इन प्रवासियों ने अपने

उद्यम और कड़ी मेहनत से स्वयं को व्यापार और उद्योग में अपने निवास के देश में स्थापित किया है। वे न केवल निवेश संसाधन बल्कि कौशल और प्रबंधकीय क्षमताओं का उच्च स्तर भी रखते हैं जो इस देश में विश्व स्तरीय उद्यमों की स्थापना करने में उपयोग किया जा सकता है। राज्य ने राजस्थान फाउण्डेशन के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को राज्य में निवेश के लिये प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया है। एन. आर. आई. निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा।

7.3.10 हस्तशिल्प / हथकरघा / खादी / ग्राम / कुटीर उद्योग

हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में आजीविका के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने वाले दस्तकार, कारीगर, कुटीर, खादी और ग्रामीण उद्योग शामिल हैं। यह रणनीति, हस्तशिल्प, हथकरघा और कुटीर उद्योगों को निर्धनता घटाने की एक प्रणाली के रूप में संवृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने और लम्बे समय तक आय उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख रूपरेखा उपलब्ध कराने के लिए है।

7.3.10.1 मार्केटिंग सहयोग

i. राज्य में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों हेतु हस्तशिल्प विक्रय सुगम बनाने के लिए एम. आई. रोड, जयपुर में नवनिर्मित राजस्थली भवन को हस्तशिल्प मॉल के रूप में तैयार किया जाएगा।

ii. क्रॉफ्ट बाजार, एक्सपो, अन्य प्रदर्शनियां, अध्ययन यात्राएं आदि बाजार–सम्बंधी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले एस.पी.वी., कारीगरों, उनके संघों को टीए / डीए प्रदान किया जाएगा।

iii. हस्तशिल्प और हथकरघा सम्भावनाओं वाले सभी प्रमुख जिलों में उनकी मार्केटिंग को सुगम बनाने के लिए नगरीय और ग्रामीण हाटों की स्थापना की जाएगी।

iv. राजस्थान लघु उद्योग निगम (आर.एस.आइ.सी.) राज्य के हस्तशिल्प को एक विशेष रूप से विकसित वेबसाईट के माध्यम से ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराएगा। यह वेबसाईट, राजस्थान हस्तशिल्प और हथकरघा के विषय में जनता और संभावित पर्यटकों को जानकारी प्रदान करेगी। वैबसाईट पर दी गई जानकारी में उत्पाद, उनके प्राप्तिस्थलों, उनके निर्माताओं के विषय में जानकारी तथा इसके साथ कारीगरों और निर्माताओं की अनूठी कहानियां भी शामिल होंगी। यह एक निर्देशिका के रूप में छोटे कारीगरों को पंजीकरण कराने और उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने का छोटा शोकेस उपलब्ध कराने की सुविधा भी प्रदान करेगी।

v. कारीगरों द्वारा सीधे विपणन के माध्यमों के रूप में 'शिल्पांगन' की स्थापना को और प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.3.10.2 प्रमुख पारम्परिक और लुप्त होती कलाओं का पारंगत कारीगरों द्वारा कौशल प्रसार

कुछ चिन्हित पारम्परिक और लुप्त होती कलाओं के लिए, इन कलाओं में पारंगत व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों तथा कारीगरों के बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये जिला स्तर के प्रशिक्षित कारीगर, संकुलों का दौरा करेंगे और अपने नवप्राप्त कौशलों को स्थानीय कारीगरों तक पहुँचायेंगे। इससे स्थानीय कारीगरों के कौशलों में सुधार और कलाओं का पुनरूद्धार होगा।

7.3.10.3 स्वरोजगार प्रशिक्षण

पारम्परिक / गैर–पारम्परिक कारीगरों, गैर–षि मजदूरों, बेरोजगार युवाओं आदि को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चूंकि इसका लक्ष्य स्वरोजगार उत्पन्न करना भी होगा, इसलिए प्रशिक्षण में आधारभूत कारोबारी कौशलों जैसे लागतें, कीमतें, मार्केटिंग, मूलभूत लेखाकारिता, कारोबार प्रबंधन, अनुसंधान आदि को समाहित किया जाएगा।

7.3.10.4 राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ एकीकरण

राज्य में हस्तशिल्प संवर्धन के लिए राज्य सरकार, राज्य के अन्य विभागों, जैसे समाज कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग और उद्योग विभाग के साथ भागीदारी स्थापित करने की सम्भावना की खोज करेगी। उदाहरण के लिए, राज्य पर्यटन विकास निगम को राज्य में हस्तशिल्प के संवर्धन और विक्रय के लिए सक्रिय रूप से संलग्न किया जायेगा।

7.3.10.5 कॉमन ब्रांडिंग

राजस्थान हस्तशिल्प के लिए एक कॉमन ब्रांड की स्थापना, इस क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य है। राजस्थान के हस्तशिल्प को एक विशिष्ट ब्रांड के अंतर्गत अभिकल्पित किया जाएगा जो राज्य की धरोहर और परम्परा को प्रतिबिंबित करता हो। एक **'मेड इन राजस्थान'** स्टॉम्प या प्रतीक परिकल्पित किया जाएगा जो राजस्थान में निर्मित सभी उत्पादों का प्रतिरुपण करेगा।

7.3.10.6 हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास बोर्ड

स्वयंसेवी संगठनों, निर्माताओं, कारीगरों, संघों और निर्यातकों के साथ मिलकर एक हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास बोर्ड गठित किया जाएगा जिसके सदस्यों में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। यह बोर्ड इस क्षेत्र को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के विषय में सरकार को सलाह देगा।

7.3.10.7 अधिकाधिक मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा सेक्टर हेतु नई योजनाओं को आरम्भ किया जाएगा।

7.3.10.8 कुशल बुनकरों की घटती संख्या के कारण खादी सेक्टर संकट का सामना कर रहा है। बुनकरों के इस वर्ग के लिए चिकित्सकीय लाभ सुनिश्चित करने और सामुदायिक परिसम्पत्तियों के विकास के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज लागू किया जाएगा। कताई बुनाई करने वालों को नाबार्ड की स्वयं सहायता समूह योजना का लाभ लेने को प्रेरित किया जाएगा।

7.3.11 निर्यात

आधारीय सुविधाओं, जैसे औद्योगिक संवृद्धि के प्रमुख केन्द्रों के निकट कंटेनर डिपो की स्थापना, उत्पाद परीक्षण और विकास हेतु विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुविधाएं, सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को अपनाते हुए गुणवत्ता उन्नयन और आई. एस. ओ. श्रृंखला प्रमाणन आदि को उपलब्ध कराने पर विशेष जोर होगा। आर. एस. आई. सी. द्वारा प्रबंधित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तथा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को निर्यातकों के लिए अनुकूल तथा कारोबारी दृष्टि से उन्नत बनाने हेतु नवीनीकृत किया जाएगा।

7.3.11.1 रियायतें

जहां आवश्यक हो, निर्यात इकाईयों को अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु स्टॉल के किराए के लिए 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा किन्तु किराये पर लिए गये स्थान की अधिकतम सीमा 9 वर्गमीटर होगी।

7.3.11.2 निवेशकों को ''एसिसटेंस टू स्टेटस फॉर डवलपमेंट ऑफ एक्स्पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसाइड) योजना'' में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। योजना का उद्देश्य निर्यात के लिए उचित आधारभूत सुविधाओं का विकास व संम्वर्धन हेतु सहायता प्रदान कर राज्यों को निर्यात क्षेत्र के विकास में सम्मिलित करना है।

7.3.12 हरित उद्योग

7.3.12.1 **सरकार हरित उद्योगों की स्थापना को प्रेरित करेगी।** इस उद्देश्य से निम्न में से कम से कम एक कार्य करने वाली हरित या स्वच्छ गतिविधियों पर विचार किया जायेगा–

a. **अक्षय ऊर्जा उत्पादन एवं भंडारण–** इसमें पवन, सौर, जल, जैवईंधन, जैवअपशिष्टों आदि तथा अन्य संभावित स्रोतों द्वारा उत्पादित वैकल्पिक ऊर्जा शामिल है

b. **प्रचलित पदार्थों का पुनर्चक्रण–** पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों एवं अपशिष्ट के संग्रह और परिष्करण में लगी कम्पनियां, जिनमें पुनर्चक्रण या अपशिष्ट जल संयंत्र चलाने वाली कंपनियां और पर्यावरण स्वच्छ करने वाली कम्पनियां शामिल हैं (कागज, कांच और डिब्बों को कूड़ेदान में रिसाईकिल करने वाली कंपनियां शामिल नहीं हैं)।

c. **ऊर्जा कुशल उत्पादों का निर्माण, वितरण, विनिर्माण, संस्थापन एवं रखरखाव–** इसमें ऐसी कम्पनियां शामिल हैं जो सौर पैनल, एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब और वाहनों जैसे उत्पादों का अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन करती हैं। इसमें ऐसी विनिर्माण कम्पनियां भी शामिल हैं जो इन उत्पादों को नई या वर्तमान आवासीय या वाणिज्यिक इमारतों तथा रियल एस्टेट नियोजन और भूमि विकास परियोजनाओं में इन उत्पादों को संस्थापित और मरम्मत करती हैं।

d. **शिक्षा, अनुपालना एवं जागरूकता–** इस सेक्टर में सौर पैनल संस्थापन, ऊर्जा लेखापरीक्षण, उपयुक्तता प्रबंधन और पर्यावरणीय कैरियर संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदाता और पर्यावरणीय सलाहकारिता, ट्रेडिंग एवं ऑफसेट कम्पनियाँ शामिल हैं।

e. **प्राकृतिक और दीर्घकालिक उत्पाद निर्माण–** इसमें वे कम्पनियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग वाले उत्पाद निर्मित करती हैं। इसमें वे कारोबार भी शामिल हैं जो सुरक्षित, नॉनटॉक्सिक उत्पादों को निर्मित करते हैं, हस्तशिल्प तथा हथकरघा, पूर्व में पुनर्चक्रित की गई सामग्री और अपशिष्ट से निर्मित उत्पाद वाली कम्पनियाँ।

सरकार अपशिष्ट में कमी, पुनर्उपयोग या पुनर्चक्रण को प्रेरित करेगी। अपशिष्ट को कच्चे माल की भांति उपयोग करने वाली या पुनर्चक्रित अपशिष्ट से कारोबार करने वाली इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

7.3.12..2 **प्रदूषण मुक्त उद्योगों हेतु एफ. ए. आर. में वृद्धि**

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, परिधान, सूचना तकनीक एवं सूचना तकनीक सक्षम सेवाएं जैसे स्वच्छ और रोजगार सघन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त एफ. ए. आर. प्रदान किए जाएंगे।

7.3.13 पिछड़े क्षेत्र

उद्योग और सेवा क्षेत्रों से घरेलू उत्पाद उत्पन्न करने के संदर्भ में राज्य में अनेक जिले पिछड़े हुए हैं। ऐसे जिलों में औद्योगिक तथा सेवा उद्यमों को स्थापित किए जाने की लागतें और आधारभूत ढांचागत विकास की लागतें अपेक्षाकृत उच्च हैं। ऐसे क्षेत्रों में निवेश संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

परिशिष्ट

नई औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति 2010 की योजनाएं

क्रम संख्या	अध्याय	अनुच्छेद संख्या	योजना	सम्बंधित विभाग
1	उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे का विकास	3.3	महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में सहायता	उद्योग
2	उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे का विकास	3.4.1	नए औद्योगिक क्षेत्र	उद्योग
3	उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे का विकास	3.8.5	औद्योगिक संकुलों/पार्कों के लिए निर्बाध (24x7) विद्युत आपूर्ति के लिए एस. पी. वी.	ऊर्जा/उद्योग
4	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.1	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने की राज्य योजना	तकनीकी शिक्षा/श्रम तथा रोजगार
5	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.2	ट्रेन टू गेन योजना	उद्योग
6	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.4	अंग्रेजी सुधार प्रशिक्षण	उच्च शिक्षा
7	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.I	औद्योगिक क्षेत्र प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सहायता	उद्योग
8	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.II (a)	अग्रणी संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	उच्च/तकनीकी शिक्षा
9	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.II (b)	लघु अवधि के ब्रिज पाठ्यक्रमों हेतु सहायता	उच्च/तकनीकी शिक्षा
10	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.III (a)	निजी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण सस्थानों हेतु सहायता	उद्योग
11	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.III(b)	पी.पी.पी. आधार पर राजीव गांधी कौशल स्कूलों हेतु सहायता	उद्योग/श्रम तथा रोजगार
12	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.III (c)	तकनीकी संस्थानों की स्थापना	तकनीकी शिक्षा
13	एम.एस.एम.ई. संवृद्धि पर फोकस	6.2.1 (a)	एस.पी.वी. आधार पर संकुल विकास हेतु वित्तीय सहायता	उद्योग
14	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.1.II	जिला बीपीओ योजना 2010	उद्योग/आई.टी.
15	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.2.II	'पधारो सा' योजना	पर्यटन
16	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.6	परिधान सेक्टर में प्रशिक्षण सहायता हेतु योजना	लघु उद्योग
17	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.10.2 7.3.10.3	शिल्प क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाएं	लघु उद्योग
18	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.10.7	राजस्थान हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास वित्त योजना	लघु उद्योग

www.investrajasthan.com

Bureau of Investment Promotion
(a Government of Rajasthan Organisation)

Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302 005, Rajasthan, India
Tel: +91 141 222 72 74, 222 78 12. Fax: +91 141 222 7506. E-mail: bip.raj@nic.in

Design & Layout: MERCURY | June 2010